

अंक 33 | संख्या 5 | मई 2026



# मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

## विचार- विमर्श

भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या से निपटने हेतु  
विचार- विमर्श

## लेख

जलवायु और सतत विकास एजेंडा में बौद्धिक संपदा

## सुर्खियां

भारत में सोशल मीडिया और बच्चे

भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के उपाय

बंधुआ मजदूरी



# मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 | संख्या 5 | मई 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य

न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि  
श्रीमती विजया भारती सयानी  
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव

श्री भरत लाल

संपादक

जैमिनि कुमार श्रीवास्तव  
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट [www.nhrc.nic.in](http://www.nhrc.nic.in) पर भी उपलब्ध है।  
गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूजलेटर में  
प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः  
प्रकाशित कर सकते हैं।



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक द्वारा आयोजित 'जलवायु और स्थिरता एजेंडा में बौद्धिक संपदा' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन आयोग की 11वीं मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता में सुश्री सारिका जैन को उनकी लघु फिल्म 'रानी' के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए

## विषय-वस्तु

### मासिक विवरण:

03 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी की कलम से

### विचार- विमर्श

05 भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट की  
समस्या से निपटना

### लेख

08 जलवायु और सतत विकास एजेंडा में  
बौद्धिक संपदा

### सुर्खियां

- 10 भारत में सोशल मीडिया और बच्चे
- 13 भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने  
के उपाय
- 15 बंधुआ मजदूरी
- 15 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप
- 17 स्वतः संज्ञान
- 20 राहत के लिए सिफारिशें
- 20 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
- 21 केस स्टडी

22 मौके पर पूछताछ

### क्षेत्रीय दौरे

- 23 एनएचआरसी, भारत के सदस्य द्वारा  
किए गए दौरे
- 24 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

### क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 27 ज्ञानार्जन दौरे

### पुरस्कार

- 29 एनएचआरसी, भारत द्वारा प्रस्तुत लघु  
फिल्म पुरस्कार-2025
- 31 12वीं वार्षिक मानव अधिकार लघु  
फिल्म प्रतियोगिता 2026 के लिए  
आवेदन आमंत्रित
- 32 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी
- 32 राज्य मानव अधिकार आयोगों से  
समाचार
- 35 संक्षेप में समाचार
- 39 आगामी कार्यक्रम
- 39 अप्रैल 2026 में प्राप्त शिकायतें

## मासिक विवरण

# महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

जब उपभोक्ता जागरूक और सतर्क होते हैं, तो वे बाजार की कार्यप्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं और उच्च मानकों की मांग कर सकते हैं। इस दृष्टि से, खाद्य सुरक्षा संस्थानों और नागरिकों के बीच साझा जिम्मेदारी बन जाती है।

**अ** अप्रैल 2026 हमें यह याद दिलाता है कि मानव अधिकार केवल कागज़ पर लिखे कानूनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि ये कानून रोजमर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं। आज असली चुनौती केवल मजबूत नीतियां बनाना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हो और उनसे सार्थक परिणाम प्राप्त हों। इस माह की प्रमुख घटनाओं में से एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा खाद्य एवं पोषण के अधिकार के व्यापक विषय के अंतर्गत आयोजित खाद्य मिलावट पर राष्ट्रीय विचार-विमर्श था। खाद्य मिलावट को अक्सर एक तकनीकी या नियामक मुद्दा माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक व्यापक है और यह सीधे स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विचार-विमर्श की विस्तृत रिपोर्ट, साथ ही इसके सुझाव, न्यूजलेटर के इस अंक में शामिल हैं।

चर्चाओं से एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात सामने आई। भारत में खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए पहले से ही एक मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है, फिर भी समस्या बनी हुई है। यह नियमों और उनके क्रियान्वयन के बीच अंतर को दर्शाता है। इस अंतर के कई कारण हैं। परीक्षण और अभियोग में देरी से व्यवस्था कमजोर होती है, जबकि खाद्य परीक्षण सुविधाओं का हमेशा प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। खेतों से लेकर बाजारों तक, आपूर्ति श्रृंखला में निगरानी अनियमित बनी हुई है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय अक्सर सीमित होता है। साथ ही, कई उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा मानकों या असुरक्षित उत्पादों का सामना करने पर कैसे प्रतिक्रिया दें, इस बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। परिणामस्वरूप, प्रवर्तन प्रतिक्रियात्मक होता है और नुकसान होने के बाद ही कार्रवाई की जाती है।

इसलिए, रोकथाम की दिशा में बदलाव की आवश्यकता है। इसका अर्थ है खाद्य श्रृंखला के हर चरण में जांच को मजबूत करना, ट्रेसबिलिटी में सुधार करना और मिलावट का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करना। इसके लिए अधिक पारदर्शिता भी आवश्यक है ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिल सके। जन जागरूकता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब उपभोक्ता जागरूक और सचेत होते हैं, तो वे बाजार प्रथाओं को प्रभावित कर सकते हैं और उच्च मानकों की मांग कर सकते हैं। इस अर्थ में, खाद्य सुरक्षा संस्थानों और नागरिकों के बीच एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।

इस विचार-विमर्श में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग, बुनियादी ढांचे में खामियों और सभी हितधारकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता जैसी गहरी संरचनात्मक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला गया। इन मुद्दों के समाधान के लिए दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता है, जिनमें बेहतर प्रयोगशाला नेटवर्क, विभिन्न एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय और जागरूकता एवं शिक्षा में अधिक निवेश शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह

है कि यह चर्चा सोच में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है, जिसमें सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच को केवल एक नीतिगत लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में देखा जाता है, जिसे प्रभावी प्रणालियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस व्यापक दृष्टिकोण की झलक महीने भर में किए गए अन्य हस्तक्षेपों में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूरी के मामलों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद कार्यान्वयन में कमियां किस प्रकार कमजोर आबादी को प्रभावित करती रहती हैं। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कानून दशकों से मौजूद हैं, फिर भी मामले लगातार बने रहते हैं, जिसका मुख्य कारण देरी, कमजोर प्रवर्तन और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही का अभाव है। जब अधिकारी समय पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो श्रमिकों को न केवल उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, बल्कि उन्हें बचाव और पुनर्वास का अवसर भी नहीं मिलता। यह एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को रेखांकित करता है। अधिकारों का हनन न केवल प्रत्यक्ष उल्लंघनों से होता है, बल्कि निष्क्रियता से भी होता है।

पर्यावरण संबंधी जोखिम, विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी से जुड़े जोखिम, अन्य महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया। लू की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जो सबसे अधिक संवेदनशील हैं, जिनमें बाहरी कामगार, बुजुर्ग, बच्चे और पर्याप्त आश्रय के बिना रहने वाले लोग शामिल हैं। अग्रिम योजना और तैयारी पर जोर देने से संकट आने से पहले कार्रवाई करने की आवश्यकता स्पष्ट होती है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, पीने के पानी की उपलब्धता, छायादार स्थान और समन्वित स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे उपाय अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं और जानमाल के नुकसान को रोक सकते हैं।

अप्रैल का महीना वैश्विक महत्व रखता है क्योंकि इस महीने विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल) और पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) मनाया जाता है, जो हमें मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के बीच अटूट संबंध की याद दिलाता है। इस व्यापक संदर्भ में, न्यूजलेटर के इस अंक में एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष द्वारा जलवायु, स्थिरता और बौद्धिक संपदा पर एक ज्ञानवर्धक लेख प्रकाशित किया गया है। यह लेख तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में अधिकारों, जिम्मेदारियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है।

खाद्य सुरक्षा, श्रम अधिकार और पर्यावरणीय चुनौतियों सहित इन विभिन्न क्षेत्रों में एक समान पैटर्न स्पष्ट होता है। मुख्य उद्देश्य ऐसी प्रणालियाँ बनाना

है जो व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोक सकें। यद्यपि जाँच, सुनवाई और अनुशासनों जैसे पारंपरिक उपकरण महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वे तभी सबसे अधिक प्रभावी होते हैं जब वे शासन में व्यापक सुधार लाते हैं। यही कारण है कि आयोग समय-समय पर लोक अधिकारियों को अपने संदेशों में विभागों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत निगरानी तंत्र और सभी स्तरों पर जवाबदेही पर अधिक जोर देने के प्रयासों पर बल देता रहा है।

सहभागिता और जागरूकता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आयोग के क्षेत्रीय दौरे, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनसंपर्क पहल वास्तविक दुनिया की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नीतियां जमीनी परिस्थितियों पर आधारित हों। छात्रों, प्रोफेशनल और समुदायों को शामिल करने के प्रयास अधिकारों और जिम्मेदारियों की व्यापक समझ विकसित करने में योगदान देते हैं। ऐसी पहल एक ऐसी संस्कृति बनाने में मदद करती हैं जहां मानव अधिकारों को अमूर्त विचारों के रूप में नहीं बल्कि रोजमर्रा की चिंताओं के रूप में देखा जाता है जो हर किसी को प्रभावित करती हैं।

कुल मिलाकर, अप्रैल 2026 के घटनाक्रम एक व्यापक दृष्टिकोण परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। अब रोकथाम, सहभागिता और उत्तरदायित्व पर अधिक बल दिया जा रहा है। चाहे वह सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना हो, श्रमिकों की सुरक्षा करना हो, निष्पक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना हो या जलवायु जोखिमों के लिए तैयारी करना हो, लक्ष्य प्रणालियों को अधिक उत्तरदायी, समावेशी और प्रभावी बनाना है। इसके लिए न केवल मजबूत संस्थानों की आवश्यकता है, बल्कि सक्रिय जनभागीदारी और सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रतिबद्धता भी आवश्यक है।

इस न्यूजलेटर के इस अंक में इन सभी घटनाक्रमों और विचारों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे शासन व्यवस्था में मानव अधिकारों के विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य का पता चलता है। आशा है कि यह पठन सामग्री रुचिकर और सार्थक होगी, साथ ही सभी के लिए गरिमा, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने वाली प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर संवाद को प्रोत्साहित करेगी।



[भरत लाल]

## विचार- विमर्श

# भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या से निपटना समस्या की व्यापकता, चुनौतियों और सुधारों को समझना

**रा**ष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए कई कोर ग्रुप गठित किए हैं। इन समूहों में संबंधित मंत्रालयों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। कोर ग्रुप की बैठकों के अलावा, आयोग विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर हितधारकों के साथ खुली चर्चाओं का आयोजन भी करता है। आयोग समय-समय पर मौजूदा ढांचे में मौजूद कमियों को दूर करने और व्यावहारिक सुधारों एवं समाधानों का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी करता है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा के अधिकारों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मानव अधिकार मुद्दा मानते हुए, एनएचआरसी, भारत ने 'भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटना: समस्या की व्यापकता, चुनौतियों और सुधारों को समझना' विषय पर एक कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य समस्या की गंभीरता का आकलन करना, नियामक और प्रवर्तन संबंधी कमियों की पहचान करना और सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का पता लगाना था।

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, श्रीमती विजया

भारती सयानी; महासचिव श्री भरत लाल; महानिदेशक (अन्वेषण) श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र; रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह; संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक; साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वैधानिक निकाय, मानव अधिकार संरक्षक, शिक्षाविद, नागरिक समाज और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित थे।

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए भारत के कानूनी ढांचे का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया और मद्रास मिलावट निवारण अधिनियम 1918 से लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तक इसके विकास का विवरण दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से कई स्तरों पर मिलावट को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि जीवन प्रत्याशा में वर्षों से वृद्धि हुई है, लेकिन इससे संविधान के अनुसार जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन जीने के अधिकार पर बल देते हुए, उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे आंकड़ों से परे जाकर मिलावट भोजन के लोगों और परिवारों पर पड़ने वाले व्यापक मानवीय प्रभाव को समझें।

'भोजन ही औषधि होना चाहिए' के विचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समय के साथ यह सिद्धांत कमजोर पड़ गया है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उनके साथ सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल और वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे

की कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 के तहत खाद्य मिलावट के कुछ मामले आज भी अदालतों में लाए जाते हैं, जो अक्सर 15 साल पुरानी रिपोर्टों पर आधारित होते हैं, जिससे सबूत अप्रचलित हो जाते हैं और अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ जाता है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि और मोबाइल प्रयोगशालाओं सहित परीक्षण अवसंरचना की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने इनकी प्रभावशीलता और रखरखाव पर चिंता जताई। उपभोक्ताओं की उदासीनता को एक प्रमुख मुद्दा बताते हुए उन्होंने प्रतिभागियों से सरकारी हस्तक्षेप के लिए ठोस और कार्रवाई योग्य सुझाव देने का आग्रह किया।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने खाद्य सुरक्षा के बारे में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने खाद्य उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए मिलावट रोकने के लिए तत्काल उपायों की मांग की। उन्होंने किसानों को जमीनी स्तर पर शिक्षित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला ताकि सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके और बेहतर गुणवत्ता वाले अनाज सुनिश्चित किए जा सकें।

एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए बहुस्तरीय विशेष कार्यबल गठित करने का आह्वान किया। उन्होंने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल खाद्य परीक्षण के साथ-साथ मासिक जांच का भी समर्थन किया। उन्होंने सख्त प्रवर्तन पर जोर देते

हुए उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना, चौबीसों घंटे चलने वाली हेल्पलाइन, स्कूल पाठ्यक्रम में खाद्य पदार्थों में मिलावट को शामिल करना, पीड़ितों को समय पर मुआवजा देना और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली की मांग की।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूहों के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न गंभीर खतरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट एक वैश्विक मुद्दा है जो मौजूदा कानूनों, नियमों और दिशा-निर्देशों के बावजूद औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चुनौती की गंभीरता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक बार मिलावटी उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश कर जाने के बाद उनका पता लगाना या उन्हें वापस मंगाना लगभग असंभव है। एक भी खराब नमूना सैकड़ों को प्रभावित कर सकता है। एनएचआरसी को मध्याह्न भोजन और अन्य मिलावटों से संबंधित कई शिकायतें मिली हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों का संज्ञान लिया है। उन्होंने सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की गारंटी देने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। श्री लाल ने प्रतिभागियों से समस्या के निदान से आगे बढ़कर सामूहिक रूप से कार्रवाई योग्य और लागू करने योग्य समाधानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के सीईओ श्री



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन का कहना है कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही जीवन की में भी सुधार होना चाहिए, जैसा कि संविधान के तहत परिकल्पना की गई है

राजित पुन्हानी ने खाद्य विक्रेताओं के लिए निरंतर जागरूकता और सरलीकृत पंजीकरण अभियानों के माध्यम से सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एफएसएसएआई द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करके राज्य सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने मजबूत निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता पर बल देते हुए संबंधित राज्य सरकारों से विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने का आह्वान किया ताकि मिलावटी खाद्य उत्पादों की अधिक प्रभावी ढंग से जांच की जा सके और जन स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा की जा सके। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उप सचिव सुश्री अनुश्री राहा ने खाद्य मिलावट से निपटने में समुदायों और स्वयं सहायता समूहों की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए विद्यालय प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाए, जिससे छात्रों और युवाओं को इस मुद्दे से परिचित होने में मदद मिलेगी।

आईआईटी दिल्ली की डॉ. ऋचा कुमार ने फॉर्म-लेवल पर निगरानी की मांग की। उन्होंने रासायनिक मिलावट, खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग और उनसे होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों का मुद्दा उठाया। उन्होंने खतरनाक रसायनों पर व्यापक और व्यवस्थित प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर बेजोन मिश्रा ने कहा कि हितधारकों से विचार-विमर्श के माध्यम से उत्पाद मानकों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने खाद्य परीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही, चौबीसों घंटे चलने वाली उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता कल्याण कोष का उचित उपयोग, मजबूत निगरानी तंत्र और मिलावट के प्रति जन जागरूकता की मांग की। उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पा गिरिमाजी ने मिलावट की संभावना वाले क्षेत्रों और सामग्रियों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय और व्यापक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया।

इस कार्यक्रम में श्री सत्येन कुमार पांडा, सलाहकार (गुणवत्ता आश्वासन), एफएसएसएआई; डॉ. अलका राव, सलाहकार (गुणवत्ता आश्वासन), एफएसएसएआई; डॉ. भारती कुलकर्णी, निदेशक, आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), हैदराबाद; डॉ. श्वेता खंडेलवाल, वरिष्ठ सलाहकार, झपीगो; डॉ. मोनालिशा साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, अखिल भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता संस्थान; सुश्री वंदना सिंह, सीईओ, फूड सिक्योरिटी फाउंडेशन इंडिया, इंडिया फूड बैंकिंग नेटवर्क; सुश्री मोनिका सिंह, निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; श्री राजेश शर्मा, उप सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग; डॉ. गिरिधर पर्वतम, निदेशक, सीएसआईआर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान; डॉ. मामोनी दास, प्रिंसिपल, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, असम कृषि विश्वविद्यालय; श्री एन. वेंकटेश्वरन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल), आदि उपस्थित थे।

चर्चा से निकले कुछ सुझावों में निम्नलिखित शामिल थे:

- खाद्य उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र की मैपिंग, प्रत्येक चरण में संदूषण बिंदुओं की पहचान और जैव निगरानी सहित वैज्ञानिक निगरानी को नियामक ढांचे में एकीकृत करने सहित एक प्रणाली-व्यापी सुधार दृष्टिकोण अपनाएं;

- खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें;
- खाद्य सुरक्षा के संबंध में गलत धारणाओं को दूर करने, सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं के कारण होने वाली बर्बादी को कम करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन के वैज्ञानिक रूप से मान्य संकेतकों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं;
- विक्रेताओं को फलों और सब्जियों की दिखावट को निखारने के लिए रंगों का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित करें;
- सभी हितधारकों के बीच प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण की पहलों को मजबूत करें, जिसमें विद्यालय स्तर पर खाद्य सुरक्षा शिक्षा का एकीकरण, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और शिकायत निवारण और उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है;
- स्कूल और कॉलेज की प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए समर्थन बढ़ाएं, जिसमें एक सरलीकृत पुस्तिका का विकास भी शामिल है;
- खाद्य गुणवत्ता की वास्तविक समय में निगरानी करने और छेड़छाड़-रहित रिकार्ड के माध्यम से पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए लागत प्रभावी एआई उपकरण विकसित करें;
- उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा डेटा, निरीक्षण रिपोर्ट और विक्रेता अनुपालन स्थिति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें;
- खाद्य परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना और खाद्य परीक्षण प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना, साथ ही एक समर्पित उपभोक्ता हेल्पलाइन की स्थापना करना;
- राज्यों में एफएसएसएआई और संबंधित अधिकारियों को प्रयोगशालाओं से जोड़ें;
- खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, सभी हितधारकों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए एक केंद्रीय समन्वय निकाय का गठन करें;
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 का कड़ाई से कार्यान्वयन आवश्यक है;
- खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित तकनीकी शब्दावली को सरल भाषा में समझाएं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो खाद्य पदार्थों की तैयारी में शामिल हैं;
- सार्वजनिक और निजी खाद्य भंडारण गोदामों के लिए मानक निर्धारित करें;
- खाद्य नमूनों की समयबद्ध तरीके से जांच करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय निगरानी प्रणाली और एक मजबूत ढांचा विकसित करें।

आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से प्राप्त विभिन्न सुझावों पर और विचार-विमर्श करेगा।

## विश्व पृथ्वी दिवस विशेष

# जलवायु और सतत विकास एजेंडा में बौद्धिक संपदा

- न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन  
एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष

(22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में 24 अप्रैल 2026 को 'जलवायु और सतत विकास एजेंडा में बौद्धिक संपदा' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उनके उद्घाटन भाषण पर आधारित)



22 अप्रैल को हमने पृथ्वी दिवस मनाया। 1970 में इसी दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका भर में लगभग 2 करोड़ लोग पर्यावरण विनाश के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। यह घटना सांता बारबरा तेल रिसाव के प्रभावों को देखने और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई पृथ्वी की पहली तस्वीरों के जारी होने के तुरंत बाद घटी थी। अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की सुंदरता, जमीन पर लोगों द्वारा देखी जा रही वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत थी। यह एक तरह से चेतावनी थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतिहास का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन 22 अप्रैल को ही शुरू हुआ था और इसी कारण इसे पृथ्वी दिवस नाम दिया गया।

रोचक बात यह है कि पश्चिम में पृथ्वी दिवस की अवधारणा से सदियों पहले, भारतीय संस्कृति ने अपने देशवासियों को यह सिखाया था कि पृथ्वी माता के समान पूजनीय है। भारतीय परंपरा के अनुसार, प्रत्येक मनुष्य की पाँच माताएँ होती हैं जो पूजनीय हैं। वे हैं देह माता (जैविक माता), देश माता (मातृभूमि), भू माता (धरती माता), गौ माता (गाय

माता) और वेद माता (वैदिक माता)।

हमारी संस्कृति का एक और रोचक पहलू यह है कि वैदिक प्रार्थनाएँ हमेशा से न केवल मनुष्यों के कल्याण के लिए, बल्कि वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के कल्याण के लिए भी रही हैं।

“तच्चम्यो रवरुणीमहे गतुं यज्ञाय गतुं यज्ञपतये ।

दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ।

ऊर्ध्वा जिगातु भेषजम् ।

शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥”

“Tachchamyō ravarunīmahe gatum  
yajñāya gatum yajñapataye.

Daivī swasti-rastu naḥ

swastir mānuṣebhyaḥ.

Ūrdhvā jigātu bheṣajam.

Śaṁ no astu dvīpade

śaṁ ca tuṣpade.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.”

“हम समस्त जीवों के कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर की उपासना और प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी दुःख और कमियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएँ ताकि हम यज्ञ आदि अग्नि अनुष्ठानों के दौरान सदैव ईश्वर की महिमा का गुणगान कर सकें। समस्त वनस्पतियाँ और औषधियाँ प्रचुर मात्रा में विकसित हों। सभी द्विपद सुखी रहें। सभी चतुष्पद सुखी रहें।

सर्वत्र शांति, शांति, शांति हो।”

यह शुक्ल यजुर्वेद परंपरा का एक वैदिक शांति मंत्र है, जिसका उपयोग सार्वभौमिक शांति और कल्याण के

लिए अनुष्ठानिक पाठों में किया जाता है। लेकिन हमने इन सभी आदर्शों को त्याग दिया है और भौतिकवादी जीवन शैली अपना ली है, जो उपभोगवाद को बढ़ावा देती है, जहाँ मानवीय लालच ने मानवीय आवश्यकता का स्थान ले लिया है। इसका जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ा है, जिससे मानव जाति के लिए जटिलताएँ उत्पन्न हुई हैं।

यह देखना दिलचस्प है कि इस सम्मेलन का विषय तीन प्रमुख विचारों—बौद्धिक संपदा जलवायु और स्थिरता के एजेंडे—को एक साथ लेकर आया है, जो अक्सर एक-दूसरे के विपरीत क्षेत्रों में कार्य करते हैं। बौद्धिक संपदा का संबंध व्यक्तियों के रचनात्मक कार्यों और विचारों के अधिकारों की रक्षा करने से है, जबकि जलवायु और स्थिरता का ध्यान समाज और पर्यावरण के प्रति हम सभी की साझा जिम्मेदारियों पर अधिक केंद्रित होता है। सरल शब्दों में कहें तो, एक आज के व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देने के बारे में है, जबकि अन्य दो भविष्य की पीढ़ियों और इस ग्रह के अधिकारों की रक्षा करने के बारे में हैं। बौद्धिक संपदा मुख्य रूप से मानवीय कृतियों से संबंधित है, जबकि जलवायु और स्थिरता का सरोकार प्रकृति और स्वयं पृथ्वी के कल्याण से है। व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और सामूहिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के बीच का यही अंतर इस विषय को आज की दुनिया में चुनौतीपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।

यदि हम मानव अधिकारों के विकास के इतिहास पर नज़र डालें, तो अधिकारों का पहला समूह नागरिक और राजनीतिक अधिकार थे, जिन्हें अक्सर प्रथम पीढ़ी के अधिकार कहा जाता है। इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों के रूप में आए। जब 1948

में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूएचडीआर) को अपनाया गया, तो इसका मुख्य केंद्र व्यक्ति था। यूएचडीआर ने व्यापक अधिकारों की गारंटी दी, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार; दासता से मुक्ति; यातना से सुरक्षा; कानून के समक्ष समानता; निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार; निजता का अधिकार; आवागमन की स्वतंत्रता; शरण का अधिकार; राष्ट्रीयता का अधिकार; शिक्षा का अधिकार; काम करने का अधिकार; आराम और अवकाश का अधिकार; और भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल सहित जीवन स्तर का पर्याप्त अधिकार शामिल हैं। इसमें सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार भी शामिल था।

हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) बौद्धिक संपदा का भी ध्यान रखती है। इसके अनुच्छेद 27.2 में कहा गया है: "प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न होने वाले नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है, जिसका वह रचयिता है।" इस प्रकार, यूडीएचआर में बौद्धिक संपदा अधिकारों का भी ध्यान रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश, दिसंबर 1948 में जब यूडीएचआर को अपनाया गया था, तब इसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के प्रति मनुष्यों के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया था और न ही इसकी कल्पना की गई थी।

लगभग पच्चीस वर्ष बाद, 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण प्रदूषण और मानव कल्याण के बीच संबंधों की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप यूएनईपी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण आयोग) की स्थापना हुई। इसके बाद कई महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धियां हासिल हुईं: 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनेल, 1992 में रियो डी जनेरियो सम्मेलन, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन (2002), सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2012), संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन (2015), सीओपी21 या पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (2015) और संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन (2019)।

यदि हम यह पूछें कि क्या पिछले 54 वर्षों में हुए इन सम्मेलनों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर

शायद संतोषजनक न हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर भीषण गर्मी, बाढ़, जंगल की आग, तूफान और चक्रवात जैसी मानवीय आपात स्थितियों में योगदान दे रहा है, जिनकी व्यापकता, आवृत्ति और तीव्रता लगातार बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि 3.6 अरब लोग पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं और 2030 से 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष लगभग 250,000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। प्रत्यक्ष स्वास्थ्य क्षति की लागत 2030 तक प्रति वर्ष 2-4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है, जिसमें विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

हालांकि, विश्व भर में बढ़ती जागरूकता और न्यायिक हस्तक्षेप का असर दिखना शुरू हो गया है। यूएनईपी द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट: 2025 स्टेटस रिब्यू से पता चलता है कि 30 जून 2025 तक, 55 राष्ट्रीय न्यायालयों और 24 अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, जिनमें आईसीजे और अंतर-अमेरिकी मानव अधिकार न्यायालय शामिल हैं, में जलवायु से संबंधित 3,099 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,936 मामले और अन्य न्यायालयों में 1,113 मामले शामिल हैं, जिनमें से 611 मामले ग्लोबल नॉर्थ में और 305 मामले ग्लोबल साउथ में हैं, जिनमें भारत के 14 मामले भी शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि जहाँ ये मामले जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, वहीं इनमें से कोई भी बौद्धिक संपदा से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। हालांकि, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने स्वीकार किया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटना ऐसे आर्थिक विकास पर निर्भर करता है जो पर्यावरण के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करे। नवीन हरित प्रौद्योगिकियाँ वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ परिवहन, कृषि और वानिकी कम संसाधनों से अधिक हासिल करने में मदद कर सकती हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मोटे तौर पर तीन प्रमुख मुद्दों की पहचान करता है: पारदर्शिता; प्री-ग्रांट (अनुदान-पूर्व) और पोस्ट-ग्रांट (अनुदान-पश्चात) चरणों में पेटेंट नीति को संतुलित करना, जिसमें पहुंच और लाइसेंसिंग शामिल है; और पेटेंट को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार अर्थशास्त्र और नैतिक विचारों के

साथ जोड़ना। फिर भी, उद्योग तेजी से जटिल और परिष्कृत होते जा रहे हैं। 'ग्रीनवॉशिंग' अब एक बड़ी चिंता बन गई है, जहाँ शून्य उत्सर्जन या कार्बन तटस्थता के भ्रामक दावे किए जाते हैं। ऐसे जवाबी मामले भी सामने आ रहे हैं जहाँ उद्योग सरकारी कार्यवाही को 'अत्यधिक' बताकर चुनौती देते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता भी विश्व स्तर पर मुकदमेबाजी का सामना कर रहे हैं। 'वेटिकन प्रॉसिक्यूटर बनाम अल्टिमा जेनेराजियोन एक्टिविस्ट्स' और 'रेनोवेट स्विट्जरलैंड एक्टिविस्ट्स' के मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने के लिए दंड लगाया गया था। अमेरिका में, 'एनर्जी ट्रांसफर एलपी बनाम ग्रीनपीस इंटरनेशनल' के मामले में ग्रीनपीस संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाया गया, जो यह दर्शाता है कि मुकदमेबाजी किस प्रकार सक्रियता को हतोत्साहित कर सकती है, जबकि अन्य जगहों पर एंटी-स्लेप मामले जारी हैं।

एक और जटिलता परस्पर विरोधी अधिकारों का टकराव है। समझौतावादी मामलों में, जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही जैव विविधता संरक्षण या श्रम अधिकारों से टकरा सकती है। न्यायालय इन परस्पर विरोधी हितों में संतुलन स्थापित करते हैं। कूलग्लास विंडफार्म लिमिटेड बनाम एन बोर्ड प्लेनाला मामले में, आयरिश उच्च न्यायालय ने जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप पवन ऊर्जा विकास का समर्थन किया। एमके रणजीतसिंह बनाम भारत संघ मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया।

एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने माना कि जलवायु परिवर्तन जीवन, स्वास्थ्य, गरिमा और अंतरपीढ़ीगत समानता के लिए खतरा है, जिससे जलवायु संरक्षण एक संवैधानिक दायित्व बन जाता है।

इस प्रकार, जब हम बौद्धिक संपदा, जलवायु और स्थिरता पर विचार करते हैं, तो हमें गहरे संरचनात्मक तनावों के साथ-साथ विकसित हो रही कानूनी, नैतिक और तकनीकी प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ता है जो मानवता और ग्रह के भविष्य को आकार दे रही हैं।

## सुर्खियां


# भारत में सोशल मीडिया और बच्चे

## अवसर, जोखिम और नियमन


### पृष्ठभूमि

डिजिटल युग में, सोशल मीडिया बच्चों और किशोरों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब संचार, मनोरंजन, शिक्षा और आत्म-अभिव्यक्ति के केंद्र में हैं। भारत में, कोविड-19 महामारी के बाद इस प्रवृत्ति में उल्लेखनीय तेजी आई है, जिसने शिक्षा और सामाजिक संपर्क में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका को और

भी व्यापक बना दिया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमआई) और कांतार रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में अब लगभग 958 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें अनुमानित 398 मिलियन युवा उपयोगकर्ता शामिल हैं, जो डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों की महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।



इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतार की 2025 की रिपोर्ट के आधार पर भारत में डिजिटल पहुंच की स्थिति दर्शाने वाला ग्राफ




वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024

एएसईआर 2024 जैसे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 14 से 16 वर्ष की आयु के 76% बच्चे सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जो जुड़ाव के पैमाने और गहराई को दर्शाता है।

लोकलसर्कल्स द्वारा किए गए एक नए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में, जिसमें 302 शहरी जिलों के 57,000 से अधिक अभिभावकों को शामिल किया गया है, यह पता चलता है कि 9-17 वर्ष की आयु के 49% बच्चे प्रतिदिन तीन घंटे या उससे अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं, और कई माता-पिता अत्यधिक स्क्रीन समय को आक्रामकता, अधीरता, अति सक्रियता और अवसाद से जोड़ते हैं।

### फ़ायदे

सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर सोशल मीडिया बच्चों के लिए कई ठोस लाभ प्रदान करता है। यह शैक्षिक सामग्री और डिजिटल शिक्षण उपकरणों तक पहुंच बढ़ाता है, जिससे पारंपरिक कक्षाओं से परे भी सीखना संभव हो पाता है। यह संचार और सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है, विशेष रूप से महामारी जैसे व्यवधानों के समय में। इसके अलावा, सोशल मीडिया युवा



उपयोगकर्ताओं में रचनात्मकता, आत्म-अभिव्यक्ति और पहचान निर्माण को प्रोत्साहित करता है। यह स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता सहित जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हो सकता है, खासकर दूरस्थ या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों के लिए।



## जोखिम

हालांकि, डिजिटल कनेक्टिविटी के कई फायदों के साथ-साथ, बच्चों और किशोरों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े जोखिम भी काफी गंभीर हैं और तेजी से सामने आ रहे हैं, खासकर भारत में जहाँ युवाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय अभी भी सीमित हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सहित कई अध्ययनों और राष्ट्रीय रिपोर्टों ने युवा उपयोगकर्ताओं में डिजिटल लत को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया है, जिसमें अत्यधिक स्क्रीन टाइम को चिंता, अवसाद, नींद में बाधा, उत्पादकता में कमी और सामाजिक विकास में बाधा से जोड़ा गया है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क की उच्च प्लास्टिसिटी को देखते हुए, लंबे समय तक सोशल मीडिया के संपर्क में रहने से डोपामाइन

प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो नशे की लत के समान व्यवहार को जन्म दे सकती हैं, जिससे संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक नियंत्रण, ध्यान अवधि और सहानुभूति प्रभावित हो सकती है। बच्चे साइबरबुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण, ग्रूमिंग और बाल यौन शोषण सामग्री के संपर्क में आने के प्रति भी तेजी से संवेदनशील हो रहे हैं, जिसमें किशोर लड़कियों को असमान रूप से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर युवा उपयोगकर्ताओं को हानिकारक या आयु-अनुचित सामग्री के संपर्क में लाते हैं, जिसमें हिंसा, गलत सूचना और खतरनाक वायरल "चैलेंज" ट्रेंड शामिल हैं, जिनके कारण कुछ मामलों में गंभीर चोटें या मौतें भी हुई हैं।



## वैश्विक प्रतिक्रिया

वैश्विक स्तर पर, सरकारें इन चिंताओं का समाधान करने के लिए कड़े नियम बना रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष निर्धारित की है, जिसे मजबूत आयु सत्यापन प्रणालियों और नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्मों पर दंड के माध्यम से लागू किया जाता है। मलेशिया और सिंगापुर सहित अन्य देशों ने प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही बढ़ाने और हानिकारक सामग्री को रोकने के लिए सक्रिय उपाय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यूरोप में, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश आयु-आधारित प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं या उन्हें लागू कर रहे हैं, जिनमें अक्सर माता-पिता की सहमति की व्यवस्था भी शामिल होती है। ये घटनाक्रम प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को अधिक जवाबदेह ठहराने और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की दिशा में एक व्यापक वैश्विक बदलाव को दर्शाते हैं।

## भारत का दृष्टिकोण

इसके विपरीत, भारत ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय अधिक संतुलित और बहुस्तरीय नियामक दृष्टिकोण अपनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी नियम 2021, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और पोक्सो अधिनियम सहित मौजूदा कानूनी ढाँचे सामूहिक रूप से हानिकारक सामग्री, डेटा संरक्षण, साइबर अपराध और बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों का समाधान करते हैं। विशेष रूप से, डीपीडीपी अधिनियम के तहत नाबालिगों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच को नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और सीईआरटी-इन जैसे संस्थागत तंत्र राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियानों के समर्थन से ऑनलाइन नुकसान की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए रास्ते प्रदान करते हैं।

कानून/ढांचा	सोशल मीडिया और बच्चों की मुख्य भूमिका	मुख्य प्रासंगिकता
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	ऑनलाइन अपराधों, मध्यस्थ दायित्व और गैरकानूनी डिजिटल गतिविधि को नियंत्रित करने वाला मूल साइबर कानून।	यह हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, साइबर अपराधों और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी के लिए आधारभूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
आईटी नियम, 2021	यह मध्यस्थों और प्लेटफॉर्मों के लिए हानिकारक या गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने के दायित्व निर्धारित करता है।	यह असुरक्षित सामग्री, उसे हटाने की जिम्मेदारियों, शिकायतों के निवारण और प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही से निपटने में मदद करता है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023	व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है और गोपनीयता सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है।	यह बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नाबालिगों के डेटा की अधिक मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होती है और डिजिटल स्पेस में गोपनीयता का समर्थन किया जाता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023	यह साइबर-सक्षम नुकसान सहित कई दण्डित अपराधों के लिए पुरानी दंड व्यवस्था को प्रतिस्थापित करता है।	यह ऑनलाइन दुर्व्यवहार, अश्लीलता, गलत सूचना और बच्चों को प्रभावित करने वाले अन्य डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए प्रासंगिक है।
पोक्सो अधिनियम, 2012	बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए विशेष कानून।	बच्चों को बहला-फुसलाकर यौन शोषण करने, बाल यौन शोषण, बाल यौन शोषण सामग्री और ऑनलाइन यौन शोषण के अन्य रूपों से निपटने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारतीय न्यायपालिका ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है, हालांकि उसने विशिष्ट प्रतिबंध लगाने से परहेज किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के उपयोग के लिए आयु सीमा संबंधी निर्णय विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं, कुछ उच्च न्यायालयों ने बच्चों पर सोशल मीडिया के

प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है और ऑस्ट्रेलिया के समान सख्त नियम अपनाने से लेकर न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाने तक के सुझाव दिए हैं। ये टिप्पणियां इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करती हैं और सावधानीपूर्वक नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

## प्रमुख चुनौतियाँ

मौजूदा ढाँचों के बावजूद, कई चुनौतियाँ प्रभावी विनियमन को जटिल बनाती हैं। आयु सत्यापन एक प्रमुख बाधा बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान प्रौद्योगिकियाँ, चाहे वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित हों या दस्तावेज़-आधारित सत्यापन, सटीकता, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएँ पैदा करती हैं। प्रतिबंध लागू होने पर भी, बच्चे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करके उन्हें दरकिनार कर सकते हैं या मैसेजिंग ऐप या ऑनलाइन गेम जैसे कम विनियमित प्लेटफार्मों पर जा सकते हैं। प्रवर्तन में कमियाँ, प्रौद्योगिकी कंपनियों की सीमित पारदर्शिता और डिजिटल प्लेटफार्मों की सीमा-पार प्रकृति नियामक प्रभावशीलता को और कमजोर करती हैं।

## भविष्य की संभावनाएं: साझा जिम्मेदारी

सोशल मीडिया प्रबंधन को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में मान्यता देना अधिक प्रभावी उपाय है। बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार को निर्देशित करने और स्वस्थ उपयोग के लिए सीमाएँ निर्धारित करने में माता-पिता और अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। प्रौद्योगिकी कंपनियों को व्यसनकारी सुविधाओं को कम करके, सामग्री नियंत्रण को मजबूत करके और एल्गोरिदम में पारदर्शिता सुनिश्चित करके सुरक्षित प्लेटफॉर्म डिजाइन

करने की आवश्यकता है। वहीं, सरकार को प्रवर्तन को मजबूत करने, बाल-हितैषी शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए अनुसंधान का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भविष्य में, भारत को एक संतुलित, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से लाभ होगा जो बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देता है। इसमें संतुलित आयु प्रतिबंध, मजबूत सुरक्षा उपाय, निजता का सम्मान करने वाली बेहतर आयु आश्वासन प्रणाली और प्लेटफार्मों के लिए कड़ी जवाबदेही शामिल हो सकती है। बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को डिजिटल जगत से बाहर करने के बजाय, लक्ष्य एक सुरक्षित और अधिक सशक्त ऑनलाइन वातावरण बनाना होना चाहिए।

सोशल मीडिया बच्चों के लिए न तो पूरी तरह से हानिकारक है और न ही पूरी तरह से लाभकारी। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग, विनियमन और अनुभव कैसे किया जाता है। नीति निर्माताओं के लिए चुनौती केवल इसकी पहुंच को सीमित करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है जो जोखिमों को कम करते हुए अवसरों को अधिकतम करे। बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना और लाभ उठाना सुनिश्चित करने के लिए एक विचारशील, समावेशी और बहु-हितधारक दृष्टिकोण आवश्यक होगा।

# भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के उपाय

**सु**रक्षित, प्रभावी और सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना स्वास्थ्य के अधिकार की प्राप्ति के लिए अभिन्न अंग है। हालांकि भारत ने स्वास्थ्य सेवा वितरण और दवा निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी नकली, जाली और घटिया दवाओं का प्रचलन रोगी सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए नियामक निगरानी को मजबूत करना, आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता लाना और जन जागरूकता बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वैश्विक स्तर पर, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 10% चिकित्सा उत्पाद घटिया या नकली होते हैं। ये दवाएं उपचार की विफलता, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और यहां तक कि मृत्यु का कारण बनती हैं, साथ ही स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में विश्वास को कम करती हैं, विशेष रूप से सस्ती दवाओं पर निर्भर कमजोर आबादी को प्रभावित करती हैं।

स्वास्थ्य का अधिकार और मानव अधिकार ढांचा - भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की व्याख्या में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल किया गया है, जिसमें सुरक्षित दवाओं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच शामिल है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक

अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (आईसीईएससीआर) और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के दायित्व इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं।

नकली दवाओं का प्रचलन प्रत्यक्ष रूप से इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इससे व्यक्ति अप्रभावी या हानिकारक उपचारों के शिकार हो जाते हैं। असली दवाओं की सीमित उपलब्धता आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को अनौपचारिक बाजारों की ओर धकेल सकती है, जिससे नकली दवाओं के प्रति उनका जोखिम बढ़ जाता है।



<sup>1</sup>डब्ल्यूएचओ, 2017

<sup>2</sup>डब्ल्यूएचओ, 2017

<sup>3</sup>विश्व सीमा शुल्क संगठन (2022), नकली दवाइयां: तस्करी और रूझाना

व्यापकता और उभरते खतरे - विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व सीमा शुल्क संगठन के अनुसार, नकली और घटिया दवाओं का बाजार सालाना अरबों डॉलर का होने का अनुमान है और यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत, जिसे अक्सर "विश्व की औषधालय" कहा जाता है, 200 से अधिक देशों को औषधीय उत्पाद निर्यात करता है और वैश्विक वैक्सिन उत्पादन में लगभग 60% का योगदान देता है। यह व्यापक वैश्विक उपस्थिति औषधीय आपूर्ति श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता मानकों और नियामक निगरानी को बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित करती है।

हालिया प्रवर्तन कार्रवाइयों से कमजोरियों और नियामकीय तत्परता दोनों का पता चलता है। तेलंगाना में, बिना लाइसेंस वाली दवाओं का भंडार रखने वाले अवैध चिकित्सकों की पहचान की गई, जबकि कोलकाता में लगभग 6.6 करोड़ रुपये की नकली दवाएं जब्त की गईं। इन घटनाओं से निरंतर सतर्कता और प्रवर्तन की आवश्यकता उजागर होती है।

जन स्वास्थ्य और प्रणालीगत निहितार्थ - नकली दवाएं उपचार की विफलता, दवा प्रतिरोध, प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं और रुग्णता एवं मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनती हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में जनता का विश्वास कम होता है। ये भारत के दवा निर्यात जिसका मूल्य 2022-23 में 2.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक था को प्रभावित करके और वैश्विक नियामकों की बढ़ती जांच के कारण आर्थिक जोखिम भी पैदा करती हैं।

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित नियामक ढांचे और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित उपायों के अनुसार, भारत ने विशेष न्यायालयों और कठोर दंडों के माध्यम से औषधि गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए हैं। हाल के उपायों में जोखिम-आधारित निरीक्षण, क्यूआर कोड-सक्षम ट्रेसबिलिटी और सुदृढ़ अच्छी विनिर्माण प्रथाएं (जीएमपी) शामिल हैं।

## भारत सरकार की पहल

- आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करता है (एनएचए)
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), 50-90% कम कीमतों पर दवाओं की पेशकश कर रही है

- किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत), जेब से होने वाले खर्च को कम करना
- आयुष्मान भारत, विश्व स्तर पर सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और एनआईपीईआर, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।
- औषधि खरीद नीति (पीपीपी)

हालांकि, शोधकर्ताओं और नीति विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि ऑनलाइन फार्मेशियों की निगरानी में विनियामक कमियों के कारण खराब निगरानी वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से नकली या घटिया दवाओं के प्रचलन का खतरा बढ़ सकता है<sup>6</sup>

हाल की घटनाएं और प्रणालीगत कमियां - मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत सहित हाल के मामले गुणवत्ता नियंत्रण और फार्माकोविजिलेंस में कमजोरियों को उजागर करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय निर्माताओं से जुड़े दूषित कफ सिरप और मौखिक तरल दवाओं के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसमें बच्चों के लिए गंभीर जोखिमों को उजागर किया गया है और मजबूत निगरानी और नियामक सतर्कता का आग्रह किया गया है<sup>7</sup>

प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक दवा नमूनों का परीक्षण करने के बावजूद, समन्वय की कमी और माशेलकर समिति (2013) जैसी सिफारिशों के आंशिक कार्यान्वयन के कारण प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं।

## फोकस क्षेत्र

- वर्तमान नियामक ढांचे का मूल्यांकन
- नकली और जाली दवाओं से सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम और परिणाम
- नियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
- नियामक ढांचे और प्रवर्तन को मजबूत करना
- मजबूत और प्रभावी निगरानी के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना

<sup>3</sup> पीआईबी, 2023; इन्वेस्ट इंडिया

<sup>4</sup> तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन (26 नवंबर, 2024)। प्रेस नोट संख्या 16/11/DCA/2024: झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा संचालित क्लिनिकों पर छापे - सूर्यपिट और रंगारेड्डी जिलों में अवैध रूप से भंडारित दवाओं की जब्ती। तेलंगाना सरकार।

<sup>5</sup> पीआईबी, 2023; आईबीईएफ

<sup>6</sup> विकासशील देशों में बिना डॉक्टरी सलाह के मिलने वाली दवाओं का विकास, इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी, खंड 57, अंक 4 (2025): 207-211, doi:10.4103/ijp.ijp\_550\_25

<sup>7</sup> विश्व स्वास्थ्य संगठन, "चिकित्सा उत्पाद चेतावनी संख्या 5/2025: निम्न गुणवत्ता वाली (दूषित) मौखिक तरल दवाएँ," डब्ल्यूएचओ न्यूज रूम, 13 अक्टूबर 2025

## बंधुआ मजदूरी

**ब**ंधुआ मजदूरी, या ऋण-बंधुआ मजदूरी, आधुनिक गुलामी के सबसे प्रचलित रूपों में से एक है। इसमें व्यक्तियों को अक्सर बहुत कम या बिना किसी मजदूरी के ऋण चुकाने के लिए काम करने के लिए विवश किया जाता है। संवैधानिक गारंटी और वैधानिक सुरक्षा के बावजूद, यह प्रथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जारी है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदाय असमान रूप से प्रभावित होते हैं।

### संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन

अनुच्छेद 21: जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा

अनुच्छेद 23: जबरन और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 35: मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन

प्रमुख कानूनों में बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधान (धारा 370-374) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 शामिल हैं।

### सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप

पीपुल्स यूनिन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनिन ऑफ इंडिया (1982), नीरजा चौधरी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश (1984) और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनिन ऑफ इंडिया (1984) जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने "जबरन श्रम" की परिभाषा का विस्तार किया। न्यायालय ने माना कि गरीबी, भूख या न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान के कारण उत्पन्न विवशता अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम है, जिससे पीड़ितों की पहचान करने, उन्हें रिहा करने और उनका पुनर्वास करने की जिम्मेदारी राज्य पर आ जाती है।

### जिला अधिकारियों की भूमिका

कानून प्रवर्तन में जिला मजिस्ट्रेट की केंद्रीय भूमिका होती है, जिन्हें सतर्कता समितियों का गठन करने, बंधुआ मजदूरों की पहचान और रिहाई सुनिश्चित करने और पीड़ितों की जरूरतों के अनुरूप पुनर्वास योजनाओं को लागू करने का कार्य

सौंपा जाता है।

### एनएचआरसी पहल

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य" मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार, एनएचआरसी बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) 1976 अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, शिकायतों की जांच करता है, मौके पर जाकर पूछताछ करता है, सेमिनार आयोजित करता है और परामर्शी जारी करता है। स्थापना के बाद से इसने 18,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। हालांकि, चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं:

- कानूनों और निर्देशों का खराब प्रवर्तन
- पुनर्वास और सामाजिक कल्याण लाभों में देरी
- अधिकारियों और पीड़ितों के बीच जागरूकता का अभाव
- प्रारंभिक वित्तीय सहायता के बाद अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

हाल ही में एनएचआरसी द्वारा उत्तर प्रदेश के ईंट-भट्टों की जांच में व्यवस्था संबंधी गंभीर विफलताएँ सामने आईं। इनमें नियोक्ताओं के मौखिक इनकार पर निर्भरता, वैधानिक अभिलेखों की जांच का अभाव तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित बंधुआ मजदूरी संबंधी अनुमान की अनदेखी शामिल थी।

### निष्कर्ष

बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के पचास वर्ष बाद भी, कमजोर क्रियान्वयन और निरंतर पुनर्वास के अभाव के कारण बंधुआ मजदूरी की जड़ें अभी भी गहरी जमी हुई हैं। इसके प्रभावी उन्मूलन के लिए पहचान, मुक्ति और पुनर्वास की प्रक्रियाओं को एक साथ चलाने की आवश्यकता है, साथ ही अधिकारियों के संवेदीकरण और सख्त जवाबदेही तंत्र को लागू करना भी अनिवार्य है।

## महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

### उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 216 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई

बंधुआ मजदूरी मानव अधिकारों से जुड़ी सबसे गंभीर और चिंताजनक चुनौतियों में से एक बनी हुई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां असुरक्षा और शोषण आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे मामलों में जवाबदेही और पुनर्वास सुनिश्चित करने के

लिए निरंतर संस्थागत सतर्कता और समन्वित प्रशासनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है।

17 अप्रैल 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 216 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की। अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने महासचिव श्री भरत लाल, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह और वरिष्ठ



► एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल और रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह के साथ उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी के मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए

अधिकारियों की उपस्थिति में वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई में श्रम आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

न्यायमूर्ति श्री रामासुब्रमण्यन ने उनकी उपस्थिति की सराहना की, लेकिन कहा कि यदि अधिकारियों ने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया होता तो ऐसी सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती। अभिलेखों को प्रस्तुत न करने और न्यूनतम मजदूरी मानदंडों का पालन न करने जैसी अन्य उल्लंघनों को उजागर

करने वाली रिपोर्टों के बावजूद, अधिकारी ने बंधुआ मजदूरी के मुद्दे को हल करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की चूक से श्रमिकों को बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत बचाव, मुक्ति और पुनर्वास के उनके उचित दावे से वंचित किया जाता है।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन और बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में मौजूद कमियों को रेखांकित किया। उन्होंने जिला अधिकारियों से आग्रह किया



► ऑनलाइन सुनवाई जारी

कि वे मजदूरों की दुर्दशा पर ध्यान दें और कानून को लागू करके उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की चूक या निष्क्रियता इन मजदूरों को गरीबी में धकेल देती है और उन्हें शोषण का शिकार बना देती है।

आयोग ने अपने समक्ष विचाराधीन शिकायतों पर श्रम आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत

कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) की समीक्षा की। राज्य श्रम आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सभी 216 मामलों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत कर दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि वे बंधुआ मजदूरी के मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

## 21 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भीषण गर्मी (हीटवेव) से संवेदनशील आबादी की सुरक्षा के लिए अग्रिम उपाय करने का आग्रह किया गया

बढ़ते तापमान और लगातार बढ़ती लू की लहरें सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं, जो बाहरी कामगारों, बच्चों, बुजुर्गों और बेघरों जैसी कमजोर आबादी को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं। इस संदर्भ में, जीवन बचाने और अनावश्यक कठिनाइयों को कम करने के लिए निवारक तैयारी और समय पर हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 21 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश में भीषण गर्मी के दौरान संवेदनशील आबादी की सुरक्षा के लिए अग्रिम कार्रवाई करने और राहत उपाय लागू करने का आग्रह किया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

आयोग ने पाया है कि लू की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता में वृद्धि से हाशिए पर रहने वाले, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बाहरी कामगार और बेघर लोग असमान रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त आश्रय और संसाधन नहीं होते हैं। बुजुर्ग, बच्चे, शिशु और नवजात शिशु विशेष रूप से भीषण गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा, लू से आजीविका का नुकसान हो सकता है और आग लगने की दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

इसलिए, आयोग ने इन राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में एकीकृत और समावेशी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, जिसमें 2019-2023 के बीच भारत में लू या लू लगने से 3,712 लोगों की मौत दर्ज की गई है, आयोग ने उनसे आग्रह किया है कि वे लू के प्रभाव को कम करने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए अपनी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राहत उपायों की सुचारू रूप से योजना बनाएं और कार्यान्वयन को सुगम बनाएं। आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जिलों से समेकित कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

## स्वतः संज्ञान

**रा**ष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में मीडिया रिपोर्टें एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। वर्षों से, आयोग ने ऐसे कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को न्याय दिलाया है। अप्रैल 2026 के दौरान, आयोग ने 12 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघनों के मामलों में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इन मामलों का विवरण इस प्रकार है:

### छात्रावास का भोजन खाने से लड़कियाँ बीमार

(केस नंबर 268/6/1/2026)

5 अप्रैल 2026 को मीडिया ने खबर दी कि गुजरात के अहमदाबाद जिले के मेमनगर इलाके में एक छात्रावास में खाना खाने के बाद लगभग 57

लड़कियां बीमार पड़ गईं उन्हें पेट दर्द, दस्त और उल्टी की शिकायत हुई और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसलिए, आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और अहमदाबाद पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़ितों के स्वास्थ्य की स्थिति और मामले की जांच से संबंधित जानकारी शामिल होने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 18 लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी को चिकित्सा निगरानी में रखा गया है।

### एक निजी इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत और कई घायल

(केस नंबर 254/34/23/2026)

6 अप्रैल 2026 को मीडिया में खबर आई कि झारखंड के रामगढ़ जिले के हेसला इलाके में एक निजी इस्पात संयंत्र में विस्फोट के कारण एक व्यक्ति

की मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना सुबह के समय हुई जब संयंत्र में काम चल रहा था। बताया जाता है कि तकनीकी खराबी या निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करने के कारण भट्टी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाने से विस्फोट हुआ। इसलिए, आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति, जांच और मृतक श्रमिक और सात घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घायलों को पहले पास के चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया और बाद में उन्नत उपचार के लिए रांची के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान एक घायल श्रमिक की मौत हो गई।

## विद्यालय परिसर में अवैध शराब का भंडारण

(केस नंबर)700/4/4/2026)

8 अप्रैल 2026 को मीडिया में खबर आई कि 6 अप्रैल 2026 को बिहार के बेगुसराय जिले के सिसवा इलाके में स्थित एक स्कूल के जर्जर शौचालय में बोटलों में भरी अवैध शराब को शीतल पेय समझकर एक छात्र ने गलती से पी ली। छात्र नशे की हालत में घर लौटा। छात्र के परिवार ने घटना की जानकारी स्कूल अधिकारियों को दी और मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया। खबरों के अनुसार, पुलिस ने शौचालय से लगभग 204 लीटर अवैध शराब से भरे 23 कार्टन जब्त किए। इसलिए, आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति और जांच के बारे में जानकारी शामिल होने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 5 अप्रैल 2016 से लागू शराब निर्माण, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध के बीच घटी, जब बिहार को शराब मुक्त राज्य घोषित किया गया था।

## स्कूल के छात्रावास में बासी खाना खाने से एक छात्र की मौत अन्य कई छात्र बीमार

(केस नंबर 351/18/9/2026)

15 अप्रैल 2026 को मीडिया में खबर आई कि ओडिशा के मयूरभंज जिले के काकाबंध आश्रम स्कूल के छात्रावास में 14 अप्रैल 2026 को बासी खाना खाने से एक 12 वर्षीय लड़के की मौत हो गई और 100 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए। कथित तौर पर पीड़ित लड़का राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल में पांचवीं कक्षा का छात्र था। इसलिए, आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव और मयूरभंज के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति और पीड़ित छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होने की अपेक्षा है। बताया

जाता है कि लगभग 67 छात्रों की हालत गंभीर थी और उन्हें बारीपाड़ा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। 41 अन्य छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

## थर्मल पावर प्लांट में विस्फोट

(केस नंबर 170/33/33/2026)

15 अप्रैल 2026 को मीडिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित एक ताप विद्युत संयंत्र में 14 अप्रैल 2026 को बॉयलर ट्यूब फटने से कम से कम 13 श्रमिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, विस्फोट से निकली अत्यधिक गर्म भाप ने श्रमिकों को अपनी चपेट में ले लिया। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में प्रभावित श्रमिकों को मुआवजे के वितरण की स्थिति और घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होने की अपेक्षा है। खबरों के अनुसार, बॉयलर को बंद करने और ठंडा करने के बाद पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया। श्रमिकों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

## एक गांव में महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया

(केस नंबर 773/12/23/2026-WC)

15 अप्रैल 2026 को मीडिया में ख555बर आई कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 13 अप्रैल 2026 को ग्रामीणों ने एक महिला को उसके पति को कंधों पर उठाकर घुमाने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने महिला के बाल भी मुंडवा दिए। यह घटना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई। इसलिए, आयोग ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति और पीड़ित महिला को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होना चाहिए। बताया जाता है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला का पता लगाया और उसे सुरक्षा प्रदान की। एफआईआर दर्ज कर कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

## स्कूल का गेट गिरने से छात्रों की मौत

(केस नंबर 352/18/21/2026)

16 अप्रैल 2026 को मीडिया में खबर आई कि ओडिशा के गजपति जिले में 15 अप्रैल 2026 को एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का लोहे का गेट गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह घटना तब हुई जब लड़कियां स्कूल के प्रवेश द्वार के पास खेल रही थीं। इसलिए, आयोग

ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव और गजपति के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के अनुसार, छात्राएं मलबे के नीचे दब गई थीं। स्थानीय लोगों ने पीड़ितों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

## दो सफाईकर्मियों की मौत

(केस नंबर 526/7/24/2026)

16 अप्रैल 2026 को मीडिया में खबर आई कि हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके के अंबेडकर चौक पर 15 अप्रैल 2026 को सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के असर से दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के तीन कर्मचारियों को सीवर लाइन की सफाई के लिए लगाया था। इसलिए, आयोग ने नूह नगर आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति, घायलों की स्थिति और उन्हें तथा मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का विवरण शामिल होना चाहिए।

आयोग ने यह भी गौर किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों के साथ सीवर लाइनों/मैनहोल की मशीनीकृत सफाई पर जोर देने वाली विशेष परामर्शों के बावजूद, देश भर में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।

## नगर निगम द्वारा खुले छोड़े गए गड्ढे में डूबने से मौतें

(केस नंबर 619/13/18/2026)

17 अप्रैल 2026 को मीडिया ने खबर दी कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के इस्लंपुरा इलाके में एक नाले के निर्माण स्थल के पास बने पंद्रह फीट गहरे गड्ढे में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है कि नाले का निर्माण स्थानीय नगर निगम द्वारा किया जा रहा था और पास के गड्ढे में गंदा पानी जमा हो गया था। अतः आयोग ने नांदेड़ वाघाला नगर निगम के आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और नांदेड़, महाराष्ट्र के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मृतक के परिजनों के स्वास्थ्य की स्थिति और यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो उसकी जानकारी शामिल होनी चाहिए।

खबरों के मुताबिक, बच्चे घटनास्थल के पास खेल रहे थे और पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण उसमें उतर गए। उनकी चीखें सुनकर स्थानीय निवासी और पुलिस मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने की कोशिश की। हालांकि, बच्चों को बचाया नहीं जा सका।

## पटाखा कारखाने में विस्फोट

(केस नंबर 513/22/45/2026)

20 अप्रैल 2026 को मीडिया ने बताया कि तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के कट्टनरपट्टी क्षेत्र में एक निजी पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में कम से कम 18 श्रमिकों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 को जब यह घटना घटी, तब कारखाने परिसर में महिलाओं सहित 100 से अधिक श्रमिक मौजूद थे। बताया जाता है कि रासायनिक मिश्रण और निर्माण प्रक्रिया के दौरान घर्षण के कारण विस्फोट हुआ। खबरों के मुताबिक, जिले में हाल ही में हुई इसी तरह की एक घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए, आयोग ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और विरुधुनगर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति, मामले की जांच और मृतकों और घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होना अपेक्षित है।

## रासायनिक कारखाने में विस्फोट के कारण लगी

आग

(केस नंबर 345/6/5/2026)

24 अप्रैल 2026 को मीडिया ने एक रासायनिक कारखाने में हुए विस्फोट और आग की खबर दी, जिसमें कम से कम 16 मजदूर घायल हो गए। यह कारखाना गुजरात के भरूच जिले के झागडिया जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। खबरों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे तकनीकी या रासायनिक कारणों का संकेत मिला है। इसलिए, आयोग सरकार ने गुजरात के मुख्य सचिव और भरूच के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति, मामले की जांच और उन्हें दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। खबरों के अनुसार, इस घटना ने क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

## एक पत्रकार को अवैध रूप से हिरासत में लेना और यातना देना

(केस नंबर 265/6/21/2026)

29 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि गुजरात के राजकोट क्राइम ब्रांच पुलिस ने 22 मार्च 2026 को एक पत्रकार को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया। पत्रकार को निर्वस्त्र कर उल्टा लटकाया गया और

शारीरिक यातनाएं दी गईं, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं खबरों के अनुसार, पुलिस ने राजकोट सिविल अस्पताल के कर्मचारियों को पीड़ित को भर्ती न करने के लिए धमकाने की कोशिश की। उसे यह भी धमकी दी गई कि उसके खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और उसका घर गिरा दिया जाएगा। इसलिए, आयोग ने गुजरात के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की

वर्तमान स्थिति और पीड़ित के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार एक ऑनलाइन मीडिया आउटलेट चलाता है। रिपोर्ट में पुलिस यातना में उसे लगी चोटों का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। उसे अगले दिन, 23 मार्च 2026 को राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

## राहत के लिए सिफारिशें

**रा**ष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों को अपने हाथ में लेता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। अप्रैल 2026 में, 11 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों (एनओके) के लिए 51.6 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके भारत के एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्रमांक	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
1.	1277/7/3/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	हरियाणा सरकार
2.	969/9/5/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	जम्मू एवं कश्मीर सरकार
3.	542/34/6/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	झारखंड सरकार
4.	6/16/1/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	मिजोरम सरकार
5.	1137/18/28/2024	बिजली का करंट लगने से मृत्यु	5.00	ओडिशा सरकार
6.	1146/18/5/2025	बिजली का करंट लगने से मृत्यु	4.00	ओडिशा सरकार
7.	18352/24/10/2024	छात्रों और अभिभावकों का उत्पीड़न	0.1	उत्तर प्रदेश सरकार
8.	22307/24/40/2024	बिजली का करंट लगने से मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
9.	24951/24/27/2021	बिजली का करंट लगने से मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
10.	3068/25/9/2023-डीएच	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
11.	523/33/24/2024-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	7.50	छत्तीसगढ़ सरकार

## पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

अप्रैल 2026 के दौरान, आयोग ने सार्वजनिक प्राधिकरणों से अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियों/निर्देशों के आधार पर 15 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके परिजनों को 58.75 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्रमांक	मामला संख्या	शिकायत का नाम	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
1	564/1/3/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार
2	1080/7/10/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	हरियाणा सरकार
3	102/34/1/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	झारखंड सरकार
4	1394/34/3/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	4.00	झारखंड सरकार
5	275/13/3/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	महाराष्ट्र सरकार
6	658/22/13/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	तमिलनाडु सरकार
7	60/2/7/2023-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	अरुणाचल प्रदेश सरकार
8	2580/4/39/2024	पुलिस द्वारा हमला	0.50	बिहार सरकार
9	647/4/23/2024	पुलिस द्वारा हमला	0.25	बिहार सरकार
10	4460/18/3/2022	अवैध गिरफ्तारी	5.00	ओडिशा सरकार
11	1257/34/16/2022	राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	2.50	झारखंड सरकार
12	394/20/32/2022	गैरकानूनी हिरासत	2.00	राजस्थान सरकार
13	11155/24/48/2020	हिरासत में यातना	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
14	27432/24/31/2022	लापरवाही के कारण मृत्यु	7.50	उत्तर प्रदेश सरकार
15	9180/24/72/2022	पेंशन/मुआवजे का भुगतान न होना	2.00	उत्तर प्रदेश सरकार

## केस स्टडी

**क**ई मामलों में, आयोग ने पाया कि राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत, उनके गैरकानूनी कार्यों, निष्क्रियता या चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, आयोग ने प्रत्येक मामले के आधार पर उन्हें नोटिस जारी कर कारण बताओ कि इन पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जानी चाहिए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिसों पर राज्यों द्वारा अपनाए गए जवाब के आधार पर आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

### न्यायिक हिरासत में आत्महत्या के कारण मृत्यु (केस संख्या 506/34/18/2022-एडी)

यह मामला 2022 में झारखंड के चाईबासा जिले के पश्चिम सिंहभूम स्थित जिला जेल की न्यायिक हिरासत में बंद 30 वर्षीय विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। आयोग ने अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त सामग्री के आधार पर पाया कि पीड़ित ने जेल के वार्ड संख्या 2 की सीढ़ियों से कूदकर आत्महत्या की थी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने माना कि जब कोई व्यक्ति जेल की हिरासत में होता है, तो उसकी सुरक्षा और संरक्षा का दायित्व राज्य पर होता है और जेल अधिकारियों की किसी भी लापरवाही या चूक के कारण सुरक्षा प्रदान करने में विफलता की स्थिति में, राज्य इसके लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो जाता है। इसलिए, आयोग ने राज्य सरकार को मृतक

के परिजनों को 7 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

### दूषित मध्याह्न भोजन

(केस संख्या 1257/34/16/2022)

यह मामला रांची के राजकीय विद्यालय बंसुरली के 25 विद्यार्थियों के बीमार पड़ने से संबंधित है। आरोप है कि उन्होंने मध्याह्न भोजन में छिपकली मिली थी, जिसके बाद वे बीमार हो गए। आयोग को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, आयोग ने मध्याह्न भोजन नियम, 2015 और झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन पाया। आयोग ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस

संबंध में कोई भी चूक लापरवाही मानी जाएगी। तदनुसार, आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और कोई आपत्ति न मिलने पर, राज्य सरकार द्वारा प्रभावित विद्यार्थियों को राहत के रूप में 10,000 रुपये प्रति विद्यार्थी देने की अपनी सिफारिश की पुष्टि की। यह राशि बाद में भुगतान कर दी गई।

## पुलिस हिरासत में आत्महत्या के कारण मृत्यु

(केस नंबर 4460/18/3/2022)

मामला 20 दिसंबर 2022 को ओडिशा के चौद्वार आबकारी पुलिस स्टेशन में हिरासत में एक व्यक्ति की मौत से संबंधित था, जिसे शुरू में पुलिस बर्बरता का कारण बताया गया था। अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने पाया कि मौत आत्महत्या के कारण हुई थी। आयोग ने माना कि चूंकि मृतक पुलिस हिरासत में था, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य की थी और आत्म-हानि को रोकने में कोई भी विफलता लापरवाही थी, जिसके लिए परोक्ष दायित्व बनता है। तदनुसार, आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की सहमति पर, मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की अपनी सिफारिश की पुष्टि की। यह राशि बाद में भुगतान कर दी गई।

## खुले गहरे गड्ढे में गिरने से मृत्यु

(केस संख्या 27432/24/31/2022)

यह मामला 29 अगस्त 2022 को गाजियाबाद के ट्रोनिक् सिटी में एक 26 वर्षीय युवक की मौत से संबंधित है। युवक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्तंभ निर्माण के लिए खोदे गए 10 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया था। आयोग को

नोटिस मिलने के बाद प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह पाया गया कि स्थल पर उचित बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और चेतावनी के उपाय नहीं थे, जो गाजियाबाद नगर निगम और सार्वजनिक रास्तों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार संबद्ध एजेंसियों की लापरवाही को दर्शाता है। आयोग ने माना कि इस निष्क्रियता के कारण ही यह जान गई और राज्य सरकार मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। तदनुसार, आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और कोई जवाब न मिलने पर, राज्य सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि देने की अपनी सिफारिश की पुष्टि की। बाद में यह राशि अदा कर दी गई।

## न्यायिक हिरासत में आत्महत्या के कारण मृत्यु

(केस नंबर 102/34/1/2024-जेसीडी)

यह मामला झारखंड में 26 जनवरी 2024 को एक 24 वर्षीय विचाराधीन कैदी की हिरासत में हुई मौत से संबंधित था। आयोग को भेजे गए नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने पाया कि मृतक ने अस्पताल के वार्ड में भर्ती होने के दौरान सुबह के समय आत्महत्या कर ली थी, जो जेल अधिकारियों की ओर से उचित निगरानी की कमी और लापरवाही को दर्शाता है। आयोग ने माना कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की विफलता पर राज्य सरकार का दायित्व बनता है। तदनुसार, आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और कोई जवाब न मिलने पर, अपनी इस सिफारिश की पुष्टि की कि राज्य सरकार मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे। यह राशि बाद में भुगतान कर दी गई।

# मौके पर पूछताछ

**रा**ष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में मौके पर जाकर जांच करने के लिए समय-समय पर जांच अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है।

### • केस संख्या 2255/30/6/2023

6 से 10 अप्रैल 2026 तक, इस आरोप की मौके पर जांच की गई कि शिकायतकर्ता को दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की गई थी।

### • केस संख्या 1777/22/16/2024-WC

6 से 10 अप्रैल 2026 तक, तमिलनाडु के पडुकोडुई में नृत्य कार्यक्रम के लिए एक महिला कलाकार को काम पर रखने के आरोपों की मौके पर जांच की गई। बाद में महिला का उसके दोस्तों के साथ अपहरण कर लिया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे नागपट्टिनम में छोड़ दिया गया।

### • केस संख्या 4821/30/3/2025

7 से 10 अप्रैल 2026 तक, हौज खास पुलिस द्वारा एक रसोइया के रूप में काम करने वाली श्रवणबाधित महिला के साथ उसके मालिक के घर में हुई चोरी के बाद बार-बार दुर्व्यवहार किए जाने के आरोपों की मौके पर जांच की गई। आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने बिना वारंट के उसके घर की तलाशी ली, उसे और अन्य लोगों को पुष्प विहार अपराध शाखा ले गए, उसके साथ मारपीट की और उन्हें जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए।

### • केस संख्या 16665/24/54/2024

7 से 10 अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिकायतकर्ता की 2 वर्षीय बेटी के अपहरण, बलात्कार और निर्मम हत्या के आरोपों की मौके पर जांच की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस और चिकित्सा दल ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें चोटों को हमले के बजाय पशु के काटने से हुई बताया गया।

### • केस संख्या 1669/36/0/2025

13 से 17 अप्रैल 2026 तक, तेलंगाना के महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय शिक्षण संस्थान सोसायटी (एमजेपीटीबीसीडब्ल्यूआरआईआईएस) के राज्य सचिव की लापरवाही के आरोपों की मौके पर जांच की गई। इन आरोपों के अनुसार, प्रशासनिक खामियों के कारण 72 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता ने बताया कि सचिव की देखरेख में बार-बार खाद्य विषाक्तता की घटनाएं हुईं और 100 स्कूलों के लिए आवंटित पीएम श्री निधि का दुरुपयोग किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन जांच के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

### • केस संख्या 3553/24/4/2026-WC

20 से 24 अप्रैल 2026 तक, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित मैरी वानामेकर गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रावास में छात्रों से अनुचित शुल्क वसूलने के आरोपों की मौके पर जांच की गई। छात्रावास छात्रों को बुनियादी सुविधाएं, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना उच्च शुल्क ले रहा था।

### • केस संख्या 18633/24/14/2019-JCD

20 से 24 अप्रैल 2026 तक, उत्तर प्रदेश के बरेली में न्यायिक हिरासत में हुई एक मौत के मामले में मौके पर जांच की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मृतक के शरीर पर मृत्यु से पहले 14 चोटें थीं, लेकिन यह पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई कि ये चोटें कैसे लगीं।

### • केस संख्या 1509/18/9/2023

27 से 30 अप्रैल 2026 तक, ओडिशा के मयूरभंज जिले के बुरुडी गांव में रहने वाले एक अनुसूचित जनजाति के 40 वर्षीय व्यक्ति की वन विभाग के कर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के आरोपों की मौके पर जांच की गई।

## क्षेत्रीय दौरे

**रा**ष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति और राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की सलाह, दिशा-निर्देशों और अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन कर सकें। वे सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने और मानव अधिकार स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आश्रय स्थलों, कारागारों और निगरानी गृहों का भी दौरा करते हैं। इन दौरों के दौरान, राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को शीघ्रता से हल करने में सहायता मिलती है।

### एनएचआरसी, भारत के सदस्य द्वारा किये गये दौरे

18 अप्रैल 2026 को, राष्ट्रीय आर्थिक आयोग (एनएचसीआर), भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने रायथु बाजार, सनथ नगर (हैदराबाद) का दौरा किया ताकि किसानों को प्रभावित करने वाली स्थितियों और उचित बाजार स्थानों तक पहुंच के उनके अधिकारों का आकलन किया जा सके। उन्होंने पाया कि वास्तविक किसानों को प्रवेश में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजार में बिचौलियों का वर्चस्व है। उन्होंने उत्पीड़न और अतिरिक्त श्रम शुल्क के ऐसे मामले देखे जो किसानों के अधिकारों और आय को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने किसान पहचान पत्र प्रणाली के दुरुपयोग, गैर-किसानों द्वारा स्वतंत्र रूप से



कारोबार करने, अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी और अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं को भी देखा, जिससे निष्पक्षता, पारदर्शिता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं उजागर हुईं।

19 अप्रैल 2026 को उन्होंने तेलंगाना के वारंगल जिले के वर्धन्नापेट गांव में स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास और विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने पाया कि 168 लड़कियां असुरक्षित, अपमानजनक और उपेक्षित परिस्थितियों में रह रही थीं। उन्हें पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं, पीने का पानी, गुणवत्तापूर्ण भोजन और बुनियादी ढांचे का अभाव था। वहां कोई महिला मॉनिटर नहीं थी। उन्होंने यह भी पाया कि अधिकारियों द्वारा रजिस्टर और रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जा रहे थे। उन्होंने पाया कि छात्रावास अत्यंत अव्यवस्थित और उपेक्षित तरीके से चल रहा था, जिससे छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुईं।



► एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी वारंगल जिले, तेलंगाना में जनजातीय बालिका छात्रावास का निरीक्षण करती हुईं।

## विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त किया है। ये प्रतिवेदक आश्रय गृहों, कारागारों, निगरानी गृहों और इसी प्रकार के संस्थानों का दौरा करते हैं, आयोग के लिए रिपोर्ट लिखते हैं जिनमें उनके अवलोकन और भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 18 विशेष मॉनिटरों को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

## विशेष प्रतिवेदक

14 से 18 अप्रैल 2026 तक, श्री सईद अहमद बाबा ने नागालैंड के कोहिमा जिले में जिला जेल, नागालैंड चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जिला अस्पताल, एक अनाथालय, एक किशोर गृह, एक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कैदियों के लिए सुविधाओं और मानव अधिकार स्थिति का जायजा लेने के लिए दीमापुर केंद्रीय जेल का भी दौरा किया। उन्होंने मानव अधिकार मुद्दों पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जागरूक करने के लिए उनसे बैठकें भी कीं।

19 से 26 अप्रैल 2026 तक, श्री उपेंद्र सिंह बघेल ने उत्तर प्रदेश के आगरा और अलीगढ़ जिलों का दौरा किया और जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया; जिला और राज्य के अधिकारियों से बातचीत की; आगरा जिला कारागार, सरकारी सुरक्षा गृह और कालिंदी विहार का दौरा किया; कारागार सुधार और महिला संरक्षण पर काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और समन्वय तंत्र की समीक्षा की।

20 से 23 अप्रैल 2026 तक, श्री एस.के. सतपथी ने ओडिशा के केन्दुझार जिले का दौरा किया। उन्होंने चंपुआ स्थित जिला जेल और उप-जेल का निरीक्षण किया और कैदियों की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों का जायजा लिया। उन्होंने आदिवासी समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक आदिम गांव का भी दौरा किया और महिला मानसिक स्वास्थ्य गृह में देखभाल और पुनर्वास मानकों का मूल्यांकन किया। उन्होंने मानव अधिकार मुद्दों पर स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी बातचीत की। केन्दुझार सदर, चंपुआ और घाटा गांव स्थित पुलिस लॉकअपों का औचक निरीक्षण करके हिरासत सुरक्षा उपायों के अनुपालन की जांच की गई।



► एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री सईद अहमद बाबा कोहिमा में एक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ बातचीत करते हुए।

श्री सुभाष चंद्र ने 20 से 25 अप्रैल 2026 तक मध्य प्रदेश के इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर जिलों का दौरा किया और मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए जेलों, नजरबंदी केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, महिलाओं के लिए आश्रय गृहों, अनाथालयों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं का दौरा किया।

20 से 25 अप्रैल 2026 तक, श्रीमती शोमिता बिस्वास ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का दौरा किया और समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए जेलों, बाल देखभाल संस्थानों, आश्रय गृहों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य संस्थानों का भी दौरा किया।

20 से 25 अप्रैल 2026 तक, श्री के. पद्मकुमार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया और दक्षिण अंडमान और निकोबार जिलों के जिला प्रशासन और संघ राज्य क्षेत्रप्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें जनजातीय कल्याण, सामाजिक न्याय और गृह मामलों के विभाग शामिल हैं, के साथ बैठकें कीं; जनजातीय समुदायों के कल्याण और संरक्षण और संबंधित मानव अधिकार मुद्दों की समीक्षा की।

24 से 29 अप्रैल 2026 तक, श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने झारखंड के सेराइकेला-खरसावां जिले के चदिल ब्लॉक के चार गांवों का दौरा किया। उन्होंने स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े अधिकारियों, निर्वाचित ग्राम प्रधानों (मुखिया), विस्थापित व्यक्तियों और जिला विधि सेवा प्राधिकरण के साथ बैठकें कीं।

श्री मोहम्मद जमशेद ने 26 से 30 अप्रैल 2026 तक महाराष्ट्र के मुंबई शहर का दौरा किया और दक्षिण मुंबई में एक पुलिस स्टेशन के लॉकअप, आर्थर रोड सेंट्रल जेल और बायकुला स्थित महिला सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया।



► एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री एस.के. सतपथी कदालीबाड़ी, ओडिशा में ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए



► एनएचआरसी, भारत की विशेष प्रतिवेदक श्रीमती शोमिता बिस्वास मॉडल जेल कांडा, हिमाचल प्रदेश में में दौर पर

## विशेष मॉनिटर

श्री बालकृष्ण गोयल ने 1 से 4 अप्रैल 2026 तक बिहार के पटना और दरभंगा जिलों में मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए अवलोकन गृहों, सुरक्षा केंद्रों, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों/बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, केंद्रीय और जिला जेलों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण केंद्रों और वृद्धाश्रमों का दौरा किया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।

6 से 11 अप्रैल 2026 तक, डॉ. प्रदीपता कुमार नायक ने मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों का दौरा किया। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और जिला अधिकारियों के साथ बैठकें कीं; कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सेवाओं सहित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने इन जिलों के अस्पतालों, जिला



► एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर डॉ. प्रदीप कुमार नायक सीहोर, मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हुए

अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायों और कुष्ठ रोग कॉलोनियों का भी दौरा किया।

श्री धनंजय टिंगल ने 13 से 18 अप्रैल 2026 तक बिहार के पटना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सहरसा जिलों का दौरा किया और श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने बंधुआ और बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए लागू प्रणालियों की समीक्षा भी की।

20 से 25 अप्रैल 2026 तक, डॉ. पूर्वा मित्तल ने पंजाब के चंडीगढ़ और एसएस नगर, मोहाली जिलों का दौरा किया। उन्होंने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए महिला पुलिस स्टेशन, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, वन स्टॉप सेंटर (सखी), नगर निगम, दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय और पंजाब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा किया।

21 से 27 अप्रैल 2026 तक प्रो.कन्हैया त्रिपाठी ने झारखंड के रांची, देवघर, धनबाद, रामगढ़ और

हजारीबाग जिलों का दौरा किया और उच्च एवं स्कूली स्तर की शिक्षा में मानव अधिकार शिक्षा और लैंगिक समानता की स्थिति का आकलन करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों और स्कूलों में मौके पर निरीक्षण और बातचीत का आयोजन किया गया।

22 से 27 अप्रैल 2026 तक, श्री गोपी शंकर ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु जिले का दौरा किया। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, कर्नाटक मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति, इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान के डीन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित किशोर सुधार गृहों और आश्रय गृहों का भी दौरा किया। इस दौर का उद्देश्य विभिन्न यौन विशेषताओं वाले व्यक्तियों, अंतर्लिंगी शिशुओं और लिंग गैर-अनुरूप बच्चों से संबंधित मुद्दों पर डेटा संग्रह, विश्लेषण और समर्थन करना था।

23 से 29 अप्रैल 2026 तक, श्री बालकृष्ण गोयल ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे और लोअर सुबनसिरी जिलों का दौरा किया और निगरानी गृहों,

सुरक्षा केंद्रों, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों/बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, केंद्रीय और जिला जेलों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी और आवासीय विद्यालयों, आदिवासी छात्रावासों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण केंद्रों और वृद्धाश्रमों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य और जिला स्तर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं ताकि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और संबंधित मानव अधिकार पहलुओं के बारे में उनके दृष्टिकोण और चुनौतियों को समझा जा सके।

26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक, श्री उमाकांत ने बिहार के पटना जिले के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों का दौरा किया और संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित मानव अधिकार पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की; ग्राम सभा पदाधिकारियों, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत की।



एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर श्री गोपी शंकर कर्नाटक के उन अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए जो विविध यौन विशेषताओं वाले व्यक्तियों, अंतर्लिंगी (इंटरसेक्स) शिशुओं और लिंग गैर-अनुरूप (जेंडर नॉन-कॉन्फॉर्मिंग) बच्चों से जुड़े मुद्दों को संभाल रहे हैं।

## क्षमता निर्माण कार्यक्रम

**रा**ष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, आयोग इंटरनेशनल कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और अन्य कई गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है, जिनमें मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ भी शामिल हैं, ताकि विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के बीच मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। इंटरनेशनल व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आयोजित की जाती हैं। नई दिल्ली स्थित आयोग के परिसर में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सत्रों में दो महीने की व्यक्तिगत इंटरनेशनल और छह ऑनलाइन अल्पकालिक

इंटरनेशनल (ओएसटीआई) कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओएसटीआई दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को दिल्ली में यात्रा और रहने के खर्च के बिना इसमें शामिल होने में मदद करते हैं।

### प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनएचआरसी, भारत विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करता है। इन कार्यक्रमों को एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी संबोधित किया जाता है। 8 अप्रैल 2026 को, आयोग ने स्वास्थ्य संसद, डिजिटल स्वास्थ्य विज्ञान अकादमी, अंतर्राष्ट्रीय रोगी संघ और वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 'अंतर्राष्ट्रीय

रोगी संघ सम्मेलन 2026' के आयोजन में सहयोग प्रदान किया।

### ज्ञानार्जन दौर

महाविद्यालय स्तर के छात्रों और उनके संकाय सदस्यों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उन्हें आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार इसकी कार्यप्रणाली से अवगत हो सकें। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाती है। अप्रैल 2026 में निम्नलिखित संस्थानों के कुल 207 छात्रों और 9 संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया:

- महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित सेंट विल्फ्रेड्स कॉलेज ऑफ लॉ के 36 छात्रों और दो संकाय सदस्यों का एक समूह।
- दिल्ली के रोहिणी स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 37 छात्रों और एक संकाय सदस्य का एक समूह।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के 19 छात्रों और एक संकाय सदस्य का एक समूह।
- उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बेनीगंज परिसर स्थित इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के 30 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक समूह।



- तमिलनाडु के मदुरै स्थित पोन्नेया रामजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी), डीम्ड यूनिवर्सिटी के 42 छात्रों और 4 संकाय सदस्यों का एक समूह।



- पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित आदमस विश्वविद्यालय के 17 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक समूह।



- महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी स्थित डॉ. डी. वाई. पाटिल विधि महाविद्यालय के 24 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का समूह।



- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित मोहम्मद अब्दुल बारी इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस के 18 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक समूह।



- पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के नवाबहट स्थित एमेक्स लॉ कॉलेज के 29 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक समूह।



- गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा के 18 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक समूह।

## पुरस्कार

### उद्देश्यपूर्ण सिनेमा का समारोह: एनएचआरसी मानव अधिकार लघु फिल्म पुरस्कार-2025

सिनेमा में भाषा, भूगोल और सामाजिक पृष्ठभूमि की बाधाओं को पार करने, भावनाओं को जगाने और सामूहिक चिंतन को प्रेरित करने की अनूठी शक्ति है। मानवीय गरिमा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने में दृश्य कथाकला की परिवर्तनकारी भूमिका को पहचानते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत देश भर के फिल्म निर्माताओं को सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है।

मानव अधिकारों के प्रति इस रचनात्मक प्रतिबद्धता का जश्न मनाने के लिए एनएचआरसी, भारत ने 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता-2025 के सात विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया।

सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और फिल्म निर्माण तथा सामाजिक कार्यों के प्रति उनके जुनून की सराहना की। उन्होंने दृश्य-श्रव्य कथाकला के गहन प्रभाव पर बल देते हुए सिनेमा को एक शक्तिशाली माध्यम बताया जो अवचेतन मन से सीधा जुड़ता है और समाज पर अमिट छाप छोड़ता है। उन्होंने देश भर से उत्साहपूर्ण भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि 24 भारतीय भाषाओं और बोलियों में प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और आयोग

के वास्तविक राष्ट्रीय स्वरूप को दर्शाती हैं।

इस कार्यक्रम में एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल, महानिदेशक (अन्वेषण) श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र, और आयोग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने कहा कि पुरस्कार विजेता सातों फिल्मों में एक विशिष्ट और सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश निहित है, जो मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में सिनेमा की परिवर्तनकारी भूमिका को पुनः स्थापित करता है। उन्होंने विशेष रूप से डाक्यूमेंट्री 'द डस्क ऑफ लाइफ' और लघु फिल्म 'रानी' की सराहना की, जिनमें समाज द्वारा अक्सर अनदेखी की जाने वाली हाशिए पर रहने वाले समुदायों और जीवन की वास्तविकताओं का मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया गया है।

एनएचआरसी की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने फिल्म निर्माण को सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता फैलाने का एक सशक्त साधन बताया। उन्होंने कहा कि सार्थक सिनेमा में रूढ़ियों को चुनौती देने, सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और सकारात्मक कार्यों को प्रेरित करने की शक्ति है। अधिक समावेशी समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि युवा फिल्म निर्माता मानव अधिकार जागरूकता के शक्तिशाली वाहक बनकर उभर सकते हैं।

इससे पहले, महासचिव श्री भरत लाल ने प्रतियोगिता की बढ़ती पहुंच और प्रभाव का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जहां 2024 में 303



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन; सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी; महासचिव श्री भरत लाल; महानिदेशक (अन्वेषण) श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र और वरिष्ठ अधिकारीगण मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार विजेताओं के साथ

प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 526 हो गई, जिनमें से कठोर तीन-चरणीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से 438 फिल्मों को जूरी मूल्यांकन के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोग की सबसे प्रभावशाली पहलों में से एक बन गई है।

विजेताओं की घोषणा संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक ने की। प्रथम पुरस्कार, जिसमें 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र शामिल था, सुश्री सारिका जैन द्वारा 'रानी' को प्रदान किया गया। अंग्रेजी उपशीर्षक वाली यह हिंदी फिल्म, वर्ग विभाजन और घरेलू कामगार महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्षों को उल्लेखनीय संवेदनशीलता और यथार्थवाद के साथ दर्शाती है।

श्री अमल एस. द्वारा 'मीनवाइल शी...' को 1.5 लाख रुपये का दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। अंग्रेजी उपशीर्षक वाली यह मलयालम फिल्म, लैंगिक रूढ़ियों, घरेलू हिंसा और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझ रही कामकाजी महिलाओं द्वारा वहन किए जाने वाले असमान बोझ को उजागर करती है।

तमिलनाडु के श्री साई शशांक ताती की फिल्म 'द डिलीवरी' को 1 लाख रुपये का तीसरा पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी उपशीर्षक वाली यह तमिल फिल्म, नौकरी की असुरक्षा और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तंत्रों के अभाव सहित गिग

वर्करो की दयनीय परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है।

चार फिल्मों को विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र के साथ-साथ 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया: सुश्री फाल्गुनी भक्ता की 'मालती', श्री रवि कर्णवाल की 'सेकंड चांस', श्री दामोदर डी. पवार की 'डस्क ऑफ लाइफ' और श्री मनोज अप्पासो जनवेकर की 'भाग्यश्री'। इन फिल्मों में आदिवासी शिक्षा, जेल सुधार, बुजुर्गों में लचीलापन और ग्रामीण भारत में विधवाओं के अधिकारों और गरिमा सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है।

संवाद सत्र के दौरान फिल्म निर्माताओं ने अपनी रचनात्मक यात्रा और फिल्मों के पीछे की प्रेरणा के बारे में भी जानकारी साझा की। सभी पुरस्कार विजेता फिल्मों में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इनका उपयोग सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं और नागरिक समाज संगठनों द्वारा मानव अधिकार मुद्दों पर जागरूकता और संवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

समारोह को एक दृश्य आयाम प्रदान करते हुए, पिछले पांच वर्षों की सभी पुरस्कार विजेता फिल्मों और उनके विषयों को दर्शाने वाली एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी ने दर्शकों को आयोग द्वारा वर्षों से संवर्धित सामाजिक चेतना से युक्त सिनेमा के समृद्ध और विविध संग्रह की एक आकर्षक झलक पेश की।



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव श्री भरत लाल सभी पुरस्कार विजेता फिल्मों पर आधारित एक पोस्टर प्रदर्शनी को देखते हुए

## लघु फिल्म प्रतियोगिता-2026 हेतु आवेदन आमंत्रित

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानव अधिकारों पर अपनी वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता के 12वें संस्करण के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की हैं। प्रविष्टियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। आयोग द्वारा सबसे प्रभावशाली और प्रेरक फिल्मों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

2015 में स्थापित, एनएचआरसी लघु फिल्म पुरस्कारों का उद्देश्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में सिनेमा की शक्ति को प्रेरित करना और उसे मान्यता देना है। वर्षों से, यह प्रतियोगिता देश भर के फिल्म निर्माताओं, कहानीकारों, छात्रों और नागरिकों के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक जीवंत राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरी है। पिछले संस्करणों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों के प्रति फिल्म निर्माताओं की बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

प्रविष्टियाँ अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में, अंग्रेजी उपशीर्षकों के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं। लघु फिल्मों की अवधि 3 से 10 मिनट के बीच होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्री, काल्पनिक कथा, वास्तविक जीवन की कहानियों का नाट्य रूपांतरण, किसी भी तकनीकी प्रारूप में निर्मित हो सकती हैं, जिसमें एनीमेशन भी शामिल है। फिल्मों में सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों का अन्वेषण होना चाहिए, जो निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हों:

- जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अधिकार
- इसमें बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को शामिल किया गया है
- बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार और चुनौतियाँ
- दिव्यांगजनों के अधिकार
- हाथ से मैला ढोना, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार
- मौलिक स्वतंत्रता के मुद्दे
- मानव दुर्व्यापार
- घरेलू हिंसा
- पुलिस अत्याचारों के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन
- हिरासत में हिंसा और यातना
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएं
- धूमंतु और विमुक्त जनजातियों के अधिकार
- जेल सुधार
- शिक्षा का अधिकार
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जिसमें पृथ्वी ग्रह पर जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय खतरे भी शामिल हैं
- काम का अधिकार
- कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- भोजन और पोषण सुरक्षा का अधिकार
- एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार
- मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापन से मानव अधिकारों का उल्लंघन
- भारतीय विविधता में मानव अधिकारों और मूल्यों का उत्सव मनाना
- जीवन और रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने वाली विकास पहल आदि।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क या प्रविष्टियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। हालांकि, प्रतिभागियों को प्रत्येक फिल्म को विधिवत भरे हुए प्रवेश फॉर्म के साथ अलग से भेजना होगा। नियम एवं शर्तें, साथ ही प्रवेश फॉर्म, एनएचआरसी की वेबसाइट [www.nhrc.nic.in](http://www.nhrc.nic.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

फिल्म, विधिवत भरा हुआ प्रवेश फॉर्म और अन्य आवश्यक दस्तावेज गूगल ड्राइव के माध्यम से [nhrcshortfilm@gmail.com](mailto:nhrcshortfilm@gmail.com) पर भेजे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ भी इसी ईमेल पते पर भेजी जा सकती है।



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत  
National Human Rights Commission, India

### Short Film Competition- 2026

NHRC, India invites online entries for its 12<sup>th</sup> annual  
Short Film Competition on human rights

 **Last date: 30<sup>th</sup> June 2026**

For details, scan the QR code  
OR  
visit the NHRC, India website:  
[www.nhrc.nic.in](http://www.nhrc.nic.in)



## अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी, भारत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विविध पहलुओं पर विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और पहलों में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इन प्रयासों के अंतर्गत, विभिन्न देशों के संस्थागत प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए आयोग के जनादेश, कार्यप्रणाली और पहलों की जानकारी प्राप्त करने हेतु इसके अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते हैं।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी आयोग के अनुभवों और उपलब्धियों को साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के साथ सहयोग को मजबूत करने और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में उभरती मानव अधिकार चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों और कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं।

### ऑनलाइन सहभागिताएँ

- 2 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था मंच (सीएफएनएचआरआई) की वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।

- 8 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की विचार-विमर्श बैठक में भाग लिया।
- 22 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और परामर्शदाता (अनुसंधान) सुश्री वर्षा आठे ने एसओसी सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की विचार-विमर्श बैठक में भाग लिया।
- 22 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत की कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री यूसी गर्ग ने खेल और मानव अधिकार पर गणहरी लर्निंग कॉल में भाग लिया।
- 24 अप्रैल 2026 को, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री वर्षा आठे और कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री स्तुति जोशी ने पत्रकारों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना के तहत रिपोर्टिंग के संबंध में सुश्री माले हज्जाज (संचार और सूचना सलाहकार, यूनेस्को) और सुश्री आइदा मार्टिरोस-नेजाद (मानव अधिकार अधिकारी, ओएचसीएचआर) के साथ एक बैठक में भाग लिया।

## राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तार और उससे जुड़ी चुनौतियों के विकास को देखते हुए, मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया बनी हुई है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें एक व्यापक कार्यकारी ढांचे के माध्यम से जनता के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता विधायिका और न्यायपालिका सहित सशक्त लोकतांत्रिक संस्थानों और एक जीवंत एवं जागरूक मीडिया द्वारा और भी मजबूत होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) देश भर में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य स्तरीय निकायों के सहयोग से कई राष्ट्रीय आयोग क्षेत्रीय स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ये सभी संस्थाएं मिलकर महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं, जो जवाबदेही, न्याय और समावेशी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करती हैं। यह लेख मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और समाज में गरिमा, न्याय और समानता की संस्कृति को मजबूत करने के लिए विभिन्न एसएचआरसी द्वारा की गई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पहलों पर प्रकाश डालता है।

### हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने अप्रैल 2026 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें पंचकुला में सीसीटीवी कैमरों के काम न करने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेना भी शामिल था। आयोग ने पाया कि इस खामी से जन सुरक्षा, यातायात प्रवर्तन और अपराध निगरानी कमजोर हो रही है, जिससे जीवन और सुरक्षा के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए आयोग ने नगर

निगम और पुलिस अधिकारियों से जवाबदेही और सुधारात्मक उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

आयोग ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कई छात्रों की आत्महत्याओं और एक आत्महत्या के प्रयास का स्वतः संज्ञान लेते हुए मानसिक स्वास्थ्य सहायता, विचार-विमर्श प्रणाली और संस्थागत प्रतिक्रिया तंत्र में कमियों पर चिंता व्यक्त की। अधिकारियों को निवारक उपायों और छात्र कल्याण सुरक्षा

उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

एक अन्य हस्तक्षेप में, आयोग ने पंचकुला के सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में बुनियादी ढांचे की कमियों और रोगी अधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों को उठाया। आयोग के निर्देशों के बाद, मरम्मत कार्य, कर्मचारियों की संख्या में सुधार और शिकायत निवारण उपायों को मजबूत करने की पहल की गई, साथ ही संबंधित अधिकारियों से अनुपालन संबंधी आगे की रिपोर्ट मांगी गई।

आयोग ने भीख मांगने के उन्मूलन पर नीतिगत चर्चा में भी योगदान दिया, पुनर्वास, शिक्षा और सामाजिक एकीकरण पर केंद्रित अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की वकालत की, साथ ही उन प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी जो शोषण को कायम रख सकती हैं।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने नारनौल में दृष्टिबाधित लड़कियों के आवासीय विद्यालय का दौरा किया और उसके प्रयासों की सराहना करते हुए अधिक गरिमापूर्ण नाम और अधिक सरकारी सहायता की सिफारिश की। गुरुग्राम स्थित गैर सरकारी संगठन 'VISHWAS' के दौर के दौरान उन्होंने वितीय बाधाओं के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सशक्त बनाने में संगठन के सराहनीय कार्य को भी स्वीकार किया।

## मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) ने अप्रैल 2026 के दौरान निरंतर हस्तक्षेप और निगरानी के माध्यम से विभिन्न मानव अधिकार मामलों में पर्याप्त राहत और निवारण सुनिश्चित किया। डूबने, सांप के काटने, बिजली गिरने, हिरासत में मृत्यु, बिजली का करंट लगने, जंगली जानवरों के हमले, कुआं ढहने की घटनाओं और अन्य अप्राकृतिक मौतों से जुड़े 22 मामलों में, आयोग ने मृतक के कानूनी वारिस को मुआवजे के रूप में 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया। इनमें से अधिकांश मामले मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान में लिए गए, जिसके बाद निरंतर सुनवाई की गई और समय पर राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

एमपीएसएचआरसी ने गलत कारावास, चिकित्सा लापरवाही, पुलिस की ज्यादाती, विलंबित निर्वाह भत्ता, वेतन बकाया, पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया तथा लंबित मानदेय भुगतान से संबंधित मामलों में भी राहत सुनिश्चित की। इनमें रायसेन में गलत कारावास के शिकार एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा, बेतूल में चिकित्सा लापरवाही के एक मामले में 1 लाख रुपये, सतना में पुलिस दुर्व्यवहार के एक मामले में 20,000 रुपये का मुआवजा और नर्मदापुरम में स्वास्थ्य सेवा लापरवाही के एक मामले में 15,000 रुपये का मुआवजा शामिल है। आयोग ने कर्मचारियों को 4 लाख रुपये से अधिक का वेतन बकाया, 1.54 लाख रुपये की पेंशन बकाया, 14.42 लाख रुपये की ग्रेच्युटी और नौ महीने का लंबित वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित किया।



► एचएसएचआरसी, के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा गुरुग्राम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) को सशक्त बनाने वाले एक गैर-सरकारी संगठन 'VISHWAS' का दौरा करते हुए

आयोग के हस्तक्षेप के प्रमुख परिणामों में मंडला में अतिथि शिक्षकों को लंबित मानदेय का भुगतान, बेतूल में छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण, पेंशन लाभ जारी करना और सहरिया विकास एजेंसी के कर्मचारियों के बकाया का भुगतान शामिल था। एक महत्वपूर्ण कारागार कल्याण पहल के तहत, गृह मंत्रालय की गरीब कैदियों के लिए बनाई गई योजना के तहत 37 कैदियों को जमानत और जुर्माने की राशि का भुगतान किया गया। इनमें 25 दोषी और 12 विचाराधीन कैदी शामिल थे।

16 अप्रैल 2026 को, मध्य पूर्व बाल विकास आयोग (एमपीएसएचआरसी) के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने छतरपुर जिले में आयोजित एक जन सुनवाई के दौरान शिकायतों और मानव अधिकार संबंधी मामलों की समीक्षा की।



► एमपीएसएचआरसी के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह एक जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए

राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, वन, बिजली और महिला एवं बाल विकास विभागों से संबंधित 14 नई शिकायतें और 60 लंबित मामले सुने गए। अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने, गर्मियों के दौरान पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और नागरिकों के संवैधानिक और मानव अधिकारों की रक्षा करने के निर्देश दिए गए। डॉ. सिंह ने सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए पारिवारिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर भी जोर दिया।

17 अप्रैल 2026 को, एमपीएसएचआरसी के अध्यक्ष ने पन्ना जिले में मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों और दर्ज मामलों पर एक जन सुनवाई की अध्यक्षता की। 9 नए मामले और 15 लंबित मामलों की सुनवाई हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, राजस्व, शिक्षा और पन्ना टाइगर रिजर्व सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित वित्तीय सहायता के तत्काल भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। डॉ. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि समावेशी विकास के लिए मानव अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।

18 अप्रैल 2026 को नीमच जिले के अपने दौरे के दौरान, डॉ. सिंह ने जिला अधिकारियों, एमपीएसएचआरसी के सहयोगियों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने बछड़ा समुदाय के युवाओं को शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकार की 'पंख अभियान' पहल के तहत जिला प्रशासन द्वारा लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की, जिसके तहत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना चलाई जा रही है।

## तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीएसएचआरसी) नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना जारी रखता है, और राज्य भर में मानव अधिकारों के गंभीर निहितार्थ वाली घटनाओं का समय पर संज्ञान लेता है।

आयोग ने एलूर स्थित ट्राइबल आश्रम हाई स्कूल में खाद्य विषाक्तता की एक घटना का स्वतः संज्ञान लिया, जहां अनुचित तरीके से संग्रहित भोजन के सेवन से छह छात्र और एक शिक्षक बीमार पड़ गए थे। खाद्य सुरक्षा और पर्यवेक्षण में प्रथम दृष्टया लापरवाही को देखते हुए, जो आदिवासी बच्चों को प्रभावित करती है और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है, आयोग ने जिला कलेक्टर से 27 अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट मांगी है।

एक अन्य मामले में, आयोग ने पेदापल्ली और यादद्री भुवनगिरी जिलों में आवारा कुत्तों के घातक हमलों का स्वतः संज्ञान लिया, जिसके परिणामस्वरूप एक 3 वर्षीय बच्ची और एक पुरुष की मृत्यु हो गई। जीवन के अधिकार के प्रथम दृष्टया उल्लंघन और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए,

आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की सुनवाई 2 जून 2026 को होगी।

इसके अलावा, आयोग ने संगारेड्डी जिले के घानापुर एनीकट (चेक डैम) से किसानों को सिंचाई का पानी न छोड़ने जिससे 20,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसलों को खतरा पैदा हो गया था के संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किया। अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार के उल्लंघन को देखते हुए, आयोग ने सिंगुर सिंचाई परियोजना से 12 दिनों के लिए 0.30 टीएमसी पानी तुरंत छोड़ने की सिफारिश की।

## कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के महत्वपूर्ण प्रयास के तहत, कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने उत्तर कन्नड़ जिले में दो दिवसीय जिला स्तरीय बैठक आयोजित की। 28 और 29 अप्रैल 2026 को, केएसएचआरसी ने उत्तर कन्नड़ जिले का दौरा किया और जिला आयुक्त कार्यालय में पूर्ण पीठ की बैठक की। आयोग ने 30 लंबित मामलों की सुनवाई की, अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की और मौके पर ही पांच नई शिकायतें दर्ज कीं। उपायुक्त, जिला पंचायत प्रमुख और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को सीधे तौर पर प्रस्तुत करने के लिए जिला अधिकारियों और जनता के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। आयोग ने जिला कारागार, पुलिस स्टेशन, छात्रावास, बस स्टेशन और सरकारी अस्पताल जैसे संस्थाओं का अचानक दौरा भी किया और कैदियों, छात्रों, अधिकारियों और जनता के साथ बातचीत की। प्रमुख सिफारिशों में बस स्टेशन पर स्वच्छता सुविधाओं में सुधार और जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन को चालू करना शामिल था।



► केएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. टी. शम भद्र उत्तर कन्नड़ जिले में एक पूर्ण पीठ की सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए


## संक्षेप में समाचार

- 5 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन 'एटीएलईजी 2026' को संबोधित किया। उन्होंने 'मानव अधिकारों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव' विषय पर बोलते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी को गरिमा, न्याय और समावेश का साधन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रगति का सच्चा मापदंड यह नहीं है कि हमारी प्रौद्योगिकी कितनी उन्नत हो जाती है, बल्कि यह है कि हम मानव अधिकारों की कितनी मजबूती से रक्षा करते हैं। उन्होंने युवाओं से प्रौद्योगिकी के नैतिक संरक्षक बनने और एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करने का आग्रह किया जो न्यायपूर्ण, समावेशी और करुणामय हो।



- 7 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए एकजुटता' विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था को एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में। उन्होंने भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2050 तक बुजुर्ग आबादी 10% से बढ़कर 21% होने की अपेक्षा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वित्तीय निर्भरता, अकेलापन और निम्न डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियां उत्पन्न होंगी।

हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री लाल ने गंभीर बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, सामाजिक अलगाव और सहायक उपकरणों तथा वित्तीय सुरक्षा तक सीमित पहुंच में वृद्धि की ओर इशारा किया। उन्होंने वैश्विक और भारतीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने पर जोर दिया और घर-आधारित देखभाल, डिजिटल समावेशन, देखभाल करने वालों के समर्थन और अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव पर केंद्रित एक मिश्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को समाज में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया।



- 9 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए 'राइट्स इन मोशन: हाउ इंडिया प्रोटेक्ट्स इट्स सिटिजन्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड' विषय पर चर्चा की। यह सत्र 'एक्लेशिया 2026 - चेंजिंग कंटूर ऑफ पॉलिटिक्स: इंडिया एंड बियॉन्ड' का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि तीव्र तकनीकी परिवर्तन, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और परस्पर जुड़ी प्रणालियों के बीच मानव अधिकारों का विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों के अधिकारों के लिए खतरे अब बहुआयामी हैं, जिनमें सामाजिक अशांति और साइबर अपराध से लेकर दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले वैश्विक संघर्ष शामिल हैं।



श्री लाल ने उभरती चिंताओं पर जोर देते हुए, गरीबी, असमानता और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच के लगातार बने रहने वाले मुद्दों के साथ-साथ डिजिटल अधिकारों, डेटा गोपनीयता और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह जैसे जोखिमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कोविड-19 और ऑपरेशन गंगा के दौरान किए गए प्रयासों का हवाला देते हुए अधिकारों की रक्षा में भारत के संवैधानिक ढांचे, न्यायपालिका और शासन की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एक न्यायपूर्ण, लचीला और अधिकार-उन्मुख समाज के निर्माण के लिए मजबूत जवाबदेही, डिजिटल सुरक्षा, समावेशी विकास और युवा भागीदारी का आह्वान किया।

- 13 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने भुवनेश्वर, ओडिशा में "एमएसएमई और कृषि पहलों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों का सशक्तिकरण" विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा सशक्तिकरण केवल वित्तीय सहायता से कहीं अधिक है और इसके लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है।

न्यायमूर्ति षडंगि ने सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, बैंकों, उद्योग निकायों और नागरिक समाज संगठनों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। समावेशिता पर बल देते हुए उन्होंने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि समाज के सभी वर्ग आधुनिक उपकरणों और अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यमों और कृषि पहलों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सामाजिक अनिवार्यता है ताकि सभी के लिए गरिमा, समानता और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।



- 13 अप्रैल 2026 को एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में आयोजित छठे आईएनएसए-एनसीजीजी लीड्स कार्यक्रम में समापन भाषण दिया। यह पहल उन्होंने 2023 में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर शुरू की थी और अब यह वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक प्रभावशाली मंच बन गया है। उन्होंने प्रतिभागियों को भारत के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने वाले भावी संस्था निर्माता बताया।

उन्होंने कहा कि भारत की वैज्ञानिक परंपरा विज्ञान को केवल शक्ति के साधन के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के साधन के रूप में देखती है, जैसा कि डॉ. होमी जे. भाभा, डॉ. विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर भटनागर और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के उदाहरण से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी के नैतिक संचालन तक उभरती चुनौतियों के लिए वैज्ञानिकों को नीति, समाज और वैश्विक ढाँचों के साथ परिवर्तन के मार्गदर्शक के रूप में जुड़ना आवश्यक है।



इस बात पर जोर देते हुए कि नवाचार के लिए क्रियान्वयन आवश्यक है, श्री लाल ने 2047 तक एक समावेशी, नवाचार-प्रधान भारत के निर्माण के लिए बहु आयामी नेतृत्व और विज्ञान को शासन के साथ संरेखित करने का आह्वान किया।

- 16 अप्रैल 2026 को, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिदायतुलहुल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 'उभरता बौद्धिक संपदा न्यायशास्त्र और बौद्धिक संपदा शिक्षण एवं अनुसंधान के बदलते रुझान' शीर्षक वाले राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम के समापन पर एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने समापन भाषण दिया। उन्होंने बौद्धिक संपदा (आईपी) न्यायशास्त्र के भविष्य के स्वरूप को आकार देने में शैक्षणिक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने बौद्धिक संपदा कानून, मानव अधिकार और जनहित के बीच विकसित हो रहे संबंधों पर अपने विचार साझा किए। भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने ऐसी प्रगति को सुलभता और वहनीयता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने शिक्षाविदों से आग्रह किया कि वे उभरती वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने वाले कानूनी सिद्धांतों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाएं।

- 24 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक द्वारा आयोजित 'जलवायु और सतत विकास एजेंडा में बौद्धिक संपदा' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने व्यापक कानूनी परिदृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हजारों मामले अनसुलझे या अपर्याप्त रूप से निपटाए गए हैं, जो सतत विकास और न्याय सुनिश्चित करने में प्रणालीगत चुनौतियों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण के लिए पर्यावरणीय शासन और तकनीकी प्रगति पर चर्चा की आवश्यकता है। इस संबोधन पर आधारित एक लेख इस न्यूजलेटर के पिछले पृष्ठों में प्रकाशित किया गया है।



- 25 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में स्वास्थ्य संसद के सहयोग से डिजिटल स्वास्थ्य विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'सार्वजनिक नीति नेतृत्व कार्यक्रम' में मुख्य भाषण दिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 'नीतियों से कार्यक्रम तक: एक अरब से अधिक लोगों के लिए कार्यान्वयन' विषय पर बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन में मुख्य चुनौती नीति निर्माण नहीं बल्कि 1.46 अरब लोगों के विशाल विविधतापूर्ण

देश में प्रभावी कार्यान्वयन है। उन्होंने कहा कि सफल कार्यान्वयन समावेशी विचार-विमर्श के माध्यम से सटीक समस्या पहचान से शुरू होता है, जिसके बाद मजबूत डिजाइन, कार्यान्वयन रणनीतियां और साझेदारियां आवश्यक होती हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीतियां महत्वाकांक्षी विचारों पर आधारित होनी चाहिए जिनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे और संवाद, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों की भागीदारी के महत्व पर बल दिया। निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि नीति के उद्देश्य को अंतिम चरण तक पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। संवैधानिक मूल्यों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हवाला देते हुए उन्होंने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसे कार्यक्रमों का उदाहरण दिया और इस बात पर बल दिया कि वास्तविक प्रभाव तभी आता है जब विचारों को समावेशी योजना, साझा भागीदारी और अनुशासित क्रियान्वयन के माध्यम से कार्यों में परिवर्तित किया जाता है।

- 26 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षडंगि ने कटक में आयोजित 26वें राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। यह समारोह ओडिशा राज्य कला अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीएआरटी) द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने युवा प्रतिभाओं के पोषण और मार्गदर्शन एवं अवसर प्रदान करने में एससीएआरटी जैसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि हालांकि आज के युवा अत्यधिक सक्षम हैं, लेकिन अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए उन्हें

अक्सर व्यवस्थित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

न्यायमूर्ति षडंगि ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कला, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने में सार्थक योगदान दे सकता है। उन्होंने शिक्षण, कला, कविता, लेखन, नृत्य, संगीत, अभिनय और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही आदर्श गृहिणियों और किसानों को भी सम्मानित किया।

- 28 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने 'महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का आयोजन समवर्धिनी न्यास द्वारा मणिपुर स्थित एक प्रमुख नाट्य अनुसंधान, प्रशिक्षण और निर्माण केंद्र खेनजोंगलांग के सहयोग से किया गया था। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती टिनिंगफाम मोन सोंग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्हें सशक्त बनाने से मजबूत परिवार, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और अधिक समावेशी सामाजिक विकास संभव होता है।
- 29 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने समवर्धिनी न्यास द्वारा आयोजित सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय 'सह-अस्तित्व, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक



नैतिकता' था। उन्होंने कहा कि ये मूल्य विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत में लोकतंत्र की नींव है। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों पर जोर देते हुए, एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में एनएचआरसी, शिक्षा, मीडिया और समावेशी शासन की भूमिका को रेखांकित किया।

- 30 अप्रैल 2026 को, नई दिल्ली में आयोजित यूट्यूब ओपन फोरम में 'युवाओं की सुरक्षा और कल्याण को बनाए रखना' विषय पर एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने आधार व्याख्यान दिया। उन्होंने डिजिटल युग में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे न केवल भविष्य हैं बल्कि समाज की नींव भी हैं और उन्हें निष्क्रिय उपभोक्ता बनने के बजाय मजबूत चरित्र, मूल्यों और रचनात्मकता से भरपूर रचनाकारों के रूप में पोषित किया जाना चाहिए।



उभरते आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि 14-16 वर्ष की आयु के 76% बच्चे सोशल मीडिया पर हैं, जिनमें से लगभग आधे प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक समय बिताते हैं, जिससे डिजिटल लत को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखने की चिंता बढ़ जाती है।

श्री लाल ने साइबरबुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और एल्गोरिदम-आधारित व्यसनी व्यवहार जैसे जोखिमों पर प्रकाश डाला। उनका मुख्य संदेश यह था कि प्रौद्योगिकी को समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, और प्लेटफार्मों को "सेफ्टी बाई डिजाइन" और "प्राइवैसी बाई डिफॉल्ट" को सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए। उन्होंने व्यापक प्रतिबंधों के बजाय एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की वकालत की, जिसमें प्लेटफार्म की जवाबदेही, आयु-उपयुक्त पहुंच, डिजिटल साक्षरता, एल्गोरिदम में पारदर्शिता और नीति निर्माण में बच्चों की विचारों को शामिल करने पर जोर दिया गया।



## आगामी कार्यक्रम

12 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत अपने परिसर में हाइब्रिड मोड में 'प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा: सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी' विषय पर एक कोर ग्रुप बैठक का आयोजन करेगा।

एनएचआरसी, भारत 18 से 29 मई 2026 तक विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरशिप कार्यक्रम आयोजित करेगा।

18 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर्स की एक बैठक का आयोजन करेगा।

1 जून 2026 से, एनएचआरसी, भारत नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए एक महीने की प्रत्यक्ष इंटरशिप शुरू करेगा।

## अप्रैल 2026 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	4,600
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	4,040
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	41,463

